RESOLUTION RE. SETTING UP OF A SPECIAL DEPARTMENT BY STATE GOVERNMENTS FOR DEVELOPMENTS AND MANAGEMENT OF GREEN PASTURES, PRODUCTION OF FIRE-WOOD PROMOTION OF BIOGAS AND GOBAR GAS USAGE

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि—

हमारे देश मे राजस्व अभिलेखों मे कुल 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र चरागाहों के रूप में दर्ज है जबकि व्यावहारिक रूप में केवल बनों का प्रयोग चराई प्रयोजनो के लिए किया जा रहा है, और

केवल 490 लाख टन जलावन लकड़ी का उत्पादन हो रहा है जबकि कुल माग 1330 लाख टन की है ,

इस सभा की सम्मति है कि सरकार को तत्काल निम्नलिखित कदम उठाने चाहिएं :—

(i) इस 140 लाख हेक्टेयर भूमि के प्रबंध के लिए तथा बजर भूमि को हरे-भरे चरागाहों के रूप में परिवर्तित करने हेतु राज्य सरकारों को अनुदेश दिये जायें, और

(ii) जलावन लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि के लिए और प्राथमिकता के आधार पर नये प्रकार के चूल्हों, बायोगैस और गोबर गैस के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जायें ।"

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय मै इस रिजोल्यूशन के माध्यम से आपका ध्यान एक गम्भीर समस्या के समाधान के लिए आकर्षित कर रहा हूं । मान्यवर, शासकीय अभिलेखो में देश का जो वन क्षेत्र है वह 750 लाख हेक्टेयर है । किंतु हवाई सर्वेक्षण के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि इस 750 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से केवल 360 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही वास्तव में वनों से आच्छादित है । गत दस वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 15 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है । वनों के नुकसान के प्रमुख दो कारण हैं । जलाऊ लकड़ी की मांग जो कि हमारे वनों की उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक है, यह एक कारण है, और दूसरा कारण है कि वनों में अत्यधिक चराई हो रही है ।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अव्वल तो हमारे आरक्षित और सुरक्षित वन क्षेत्रों में चराई ही नही होनी चाहिए और यदि चराई की अनुमति किसी वजह से दी जाती है, किसी न टालने वाले कारणों से दी जाती है, तो केवल इतने मवेशियों को चराई की अनुमति दी जानी चाहिए, जिनका भार हमारे वन उठा सकें ।

मान्यवर, भोपाल में 1981 में इंटरनेशनल सोसाइटी फार ट्रापिकल इकालोजी का जो सिलवर जुबली अधिवेशन हुआ था, उसमें एक पेपर पढ़ा गया था । उसकी ओर मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहुंगा कि हमारे देश में 140 लाख हैक्टर क्षेत्र ऐसा है जो राजस्व अभिलेखो में चरागाह के नाम से दर्ज है । इसके अतिरिक्त हमारे देश मे 750 लाख हैक्टयर वन क्षेत्र में 120 लाख हैक्टयर वन क्षेत्र ऐसा है जिसे केवल चरागाह के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है । हमारे देश में 430 लाख हैक्टर बंजर भूमि है । इसमें भी 80 लाख हैक्टयर क्षेत्र ऐसा है जिसे कि हम चरागाह के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं ।

इस प्रकार से देश में अधिकतम क्षेत्र जहां चारे का उत्पादन किया जा रहा है और किया जा सकता है, लगभग 340 लाख हैक्टयर क्षेत्र बनता है । यदि इस सम्पूर्ण 340 लाख हैक्टयर क्षेत्र का वैज्ञानिक रूप से बड़ी संजीदगी के साथ प्रबंध किया

[श्री सुरेश पचौरी]

जाए, तो भी केवल हम 5700 लाख टन हरे चारे का उत्पादन कर सकते हैं । इतना हरा चारा, यह एक बड़े ध्यान देने योग्य बात है, मान्यवर, कि केवल 3200 लाख मवेशियों के लिए पर्याप्त है, जबकि पन्द्रह वर्ष पूर्व के सवक्षण पर यदि हम जाएं, तो पन्द्रह वर्ष पूर्व हमारे देश में मवेशियों की संख्या 3500 लाख से अधिक थी जबकि चारा केवल 3,200 लाख मवेशियों के लिए हमारे देश में पर्याप्त समझा जा रहा है ।

मान्यवर, यह समस्या इतनी गम्भीर है कि यह इन आंकड़ों से बड़ी आसानी से समझी जा सकती है और बहुत जल्द ही यदि इस संबंध में कोई कारगर या कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये, तो यह समस्या एक विकराल रूप धारण कर सकती है ।

मान्यवर, यह समझने वाली बात है कि यदि इस पर हमने समय रहते काबू नहीं पाया, तो हमारे वन नष्ट हो जायेंगे जिससे हमारे मौसम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

एक विशेष मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि देश में प्रत्येक प्रकार की भूमि के प्रबंध के लिए कोई न कोई विभाग या, कोई न कोई ऐजेन्सी है, किन्तु अपनी चरागाहों के प्रबंध के लिए न तो कोई विभाग है और न कोई एजेन्सी है ।

मैं जानना चाहता हूं कि 140 लाख हैक्टेयर भूमि चरागाह के नाम से जो दर्ज है, उसके प्रबंध के लिए कौन सा विभाग है और कौन सी एजेन्सी है ? उन चरागाहों में एक तिनका भी नहीं उगता है और नतीजा तो यह हो रहा है कि सारी की सारी चराई वनों में हो रही है। और हम महाकवि कालीदास की तरह उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हुए हैं । मान्यवर, यह बहुत जरूरी है, यह बहुत आवश्यक हो गया है कि 140 लाख हेक्टेयर भूमि जो चरागाह के रूप में उपलब्ध है उसके समूच प्रबन्ध की व्यवस्था की जाए। राज्य शासनों को यह सख्त निर्देश दिया जाए कि 140 लाख हेक्टेयर भूमि के प्रबन्ध के लिए एक विशेष और पृथक विभाग की स्थापना करें। साथ ही अधिक से अधिक बंजर भमि को चरागाह में परिवर्तित करने के लिए शीघ्र ही कोई कारगर कदम उठाएं । मान्यवर, आज एक और गंभीर समस्या जो वनों के संबंध में है और जिसकी वजह से वनों की काफी कमी हो रही है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । वनों मे प्राय: यह देखा जाता है कि आग लग जाय करती है । बड़े से बड़े क्षेत्रफल में जो वन आच्छादित हैं वहां आग लगी हुई है और आग लगती जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से उस आग पर काबू पाने के लिए, उसे नियन्त्रण करने के लिए कोई समचित उपाय नहीं किए जा रहे हैं। इस ओर भी मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चहूंग, कि इस प्रकार जो वनों में आग लग रही है उसमें रोक लगाने के लिए भी शीघ्र ही युद्ध स्तर पर कोई कदम उठाएं जाएं ।

इस रेज़ोल्यूशन के माध्यम से मैं एक और समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जलाऊ लकड़ी की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है । वर्तमान आंकड़ों के अनसार जलाऊ लकड़ी की मांग वर्तमान में 1330 लाख टन है, उसके विरुद्ध जलाऊ लकड़ी का उत्पादन केवल 490 लाख टन है । यह ध्यान ने योग्य बात है, क्योंकि मांग 1330 लाख टन है । इसलिए निश्चित रूप से इस गंभीर समस्या के निराकरण के लिए भी केन्द्रीय सरकार के स्तर से अविलम्ब कोई न कोई उपाय किए जाने चाहिएं और प्रबन्ध किया जाना चाहिए । विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा जलाऊ लकड़ी के उत्पादन को बहुत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है । किंतु यह सहज ही समझा जा सकता है कि पेड महीनों में नहीं, बल्कि वर्षों में उगते है, जबकि वे काटे केवल मिनटों में जाते हैं । इसलिए इस समस्या को बहुत गंभीरता से लिय

जाना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक भी है । इस उत्पादन की मांग की खाई को यदि हम उत्पादन बढ़ाकर पूरा नहीं कर सकते तो मांग को घटाकर कर सकते हैं। यदि हम आंकड़ों के अनसार जलाऊ लकड़ी के उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते और उसके अनुसार मांग की पूर्ति नहीं कर सकते तो बहुत जरूरी है कि उस मांग को कैसे कम किया जाए इस ओर हमारा ध्यान जाए । मांग घटाने का सब से उचित उपाय जो मेरी समझ में आता है वह है ऐसे चल्हों का इस्तेमाल जिनमें लकड़ी की खपत कम हो । जैसे बायोगैस और गोबर गैस का इस्तेमाल और अभी जो नए प्रकार के गैस के चल्हों का रिसर्च हुआ है । अभी बायोगस और गोबरगैस का इस्तेमाल नाममात्र है । उसके लिए हमारी ओर से उत्साहजनक प्रयास नहीं किया जा रहा है । अतः केन्द्रीय सरकार से राज्य शासनों को यह निर्देश दिए जाने चाहिएं कि वे प्राथमिकता के आधार पर इस दिशा में इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बायोगैस और गोबर गैस के इस्तेमाल के लिए अधिक से अधिक बजट उपलब्ध कराएं । मान्यवर, धंआ रहित चूल्हों के उपयोग करने से जहां ईंधन की बचत होती है, वही हम दूसरी ओर प्रदूषण की समस्या से भी छटकारा पाते हैं उसकी रोकथाम होती है । अतः बड़ी संख्या में धुंआ रहित चल्हे बनाए जाएं और इसके लिए एक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए । लघु उद्योग निगम द्वारा जिला स्तर पर उद्योग केन्द्र खोले गए हैं उनके माध्यम से और ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से इतने अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे और आगे ग्रामीण स्तर पर काम के लिए पहुंचें तो स्मोकलेस चूल्हे का इस्तेमाल करना लोगों को सिखा सकें । मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा विकास स्कीम है वह जो हमारे नौजवान भाई हैं उनको कुछ मैटीरियल देती है और उस ट्रेनिंग के दौरान कुछ वित्तीय मदद भी करती है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है कि उसके द्वारा वे गांवों में जाकर स्मोकलेस चूल्हा बनाना सिखा सकें । इस फाइनेंशियल एसिस्टेंस में वृद्धि किया जाना बहुत जरूरी है । साथ ही जो एक्विपमेंट उन्हें देते हैं वे स्मोकलेस चूल्हा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

गुजरात के एक वैज्ञानिक ने एक गोबर गैस प्लाट तैयार किया है जिसकी कीमत जहां तक मेरी अपनी जानकारी है अभी तक तैयार किए गए गोबर गैस प्लांटों में सबसे कम है । वह है एक हजार रुपया । ऐसे प्रयास को जो गुजरात के एक वैज्ञानिक द्वारा किया गया है प्रोत्साहित किया जाना आज की एक महती आवश्यकता है ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशु धन का एक महत्वपूर्ण स्थान है । पशु धन का आर्थिक रूप से उपयोग गोबर गैस संयंत्र लगा कर भी प्रभावशाली ढंग से हम कर सकते हैं ।

हमारे ग्रामीण भाइयों की ईंधन के अतिरिक्त प्रकाश की भी एक समस्या है । हमारे यहां आज भी ऐसे हजारों गांव हैं जहां इलैक्ट्रिफिकेशन की प्राबलम है । रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को जहां महत्व दिया जाना चाहिए वहां इस प्रकार के विचार करने से जहां हम ईंधन की समस्या से निपट सकते हैं वहां हम प्रकाश की समस्या से भी निपट सकते हैं । इन सारी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए स्व० प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जिनके हृदय में हमेशा तड़प रही है कि वे शोषित दलित मजदूर मजलूम सर्वहारा वर्ग के लिए कुछ कर सकें उन्होंने बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में बायो-गैस और गोबर-गैस संयंत्रों की स्थापना का नारा दिया । यद्यपि बीस सूत्री कार्यक्रम में यह बात निहित है, यह देखा जाना बहुत जरूरी है कि इसका कार्यान्वयन शासकीय स्तर पर और अन्य स्तरों पर कितनी ईमानदारी से और कितना गम्भीरता से किया गया है क्योंकि इसके पीछे एक भावना थी और वह भावना—स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी

[श्री सुरेश पचौरी]

की थी कि गांवों के लोगों को प्रकाश का अभाव न हो गांव के लोग आधुनिक संयंत्रों का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें। बायोगैस से मुख्यतया तीन प्रकार का लाभ होता है। प्रथम लाभ तो हमारे किसान भाइयों को यह होता है कि खाना पकाने के लिए धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है और दूसरा लाभ यह होता है कि लाइट्रोजन युक्त खाद मिलती है। तीसरा लाभ यह है कि अनेक प्रकार के रोगाणुओं से वह मुक्त रहती है क्योंकि संयंत्र में निकलने वाला जो मिक्स्चर है उसमें रोगाणु काफी कम हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त प्रकाश और जो बर्तन अनावश्यक रूप से काले हो जाते है उन की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिये बहुत जरूरी हो गया है कि यह आज की एक महती आवश्यकता हो गयी है कि बायो गैस संयंत्र हम लगायें और इस नारे को मूर्त रूप दें कि बायो गैस संयंत्र लगायें जीवन को सुखमय बनायें। देश में यदि प्रति वर्ष बायो गैस के तीन लाख घरेलू प्लान्ट लगाये जायें तो हर वर्ष 10 लाख टन लकड़ी को जलाने से बचाया जा सकता है। आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि एक सर्वेक्षण के अनुसार 1980 में लगभग 13 करोड़ 30 लाख टन की जो मांग थी वह बढ़ कर 1985 में 13 करोड़ 80 लाख टन हो जायगी। अगर देश में प्रति वर्ष बायो गैस के तीन लाख पारिवारिक प्लान्ट लगाये जायें तो इस मांग को हम नियंत्रण में रख सकते हैं। इस मांग को रोका जा सकता है। इसी प्रकार ग्रामीणों को धुएं वाले चूल्हों के दुष्परिणाम से भी रक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है और जंगलों को भी समाप्त होने से बचाया जा सकता है। इस के लिये ग्रामीणों में इस के प्रति विश्वास जाग्रत करना पड़ेगा। उन में आस्था प्राप्त हो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है।

इसी के साथ जो प्रशिक्षित टेक्नीशियन्स हैं उन की सहायता से ग्रामीण जनों को इन सब के बारे में, इन के लाभ के बारे में जानकारी के साथ-साथ शिक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। मान्यवर, आज जरूरत इस बात की है कि रसोई गैस और मिट्टी का तेल अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जाये जिस से कि जलाने की लकड़ी को बचाया जा सके, पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। साथ ही जिन मुख्यालयों को या सब डिविजनल हेड क्वार्टर्स पर भी जो धुवें रहित चूल्हे हैं उन का निर्माण हो और उसकी विधि समझाने की व्यवस्था किये जाने की जरूरत है क्योंकि यह भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस की महती मांग को मद्दे नजर रखते हुए न केवल डिस्ट्रिक्ट लेविल पर लोगों को स्मोकलेस चूल्हे बनाने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिए बल्कि इतनी व्यापक मांग को मद्दे नजर रखते हुए इतनी ज्यादा संख्या में स्मोक-लेस चूल्हों का निर्माण किया जाना चाहिए कि ग्रामीण जनों को इस का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम न केवल डिस्ट्रिक्ट लेविल पर इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें बल्कि सब डिविजनल लेविल पर, पंचायत लेविल पर भी इस के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और न केवल प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये बल्कि इसके लिये आवश्यक इक्विपमेंट भी लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और जो नौजवान भाई वहां प्रशिक्षण लें उन को वित्तीय मदद देने की व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायत लेविल पर, सब डिविजनल लेविल पर और जिला लेविल पर यह व्यवस्था होनी जरूरी है। योजना बनाने वाले यह बखूबी जानते हैं कि देश में ऊर्जा की खपत का 51 प्रतिशत भाग घरेलू कार्यों में खर्च होता है, फिर भी वे उद्योग, यातायात, कृषि जैसे क्षेत्रों को थोक उपभोक्ता करार दे कर उन को वरीयता और अहमियत देते हैं। घरेलू क्षेत्र को और खास तौर से ऐसे कार्यक्रम, ऐसी योजनायें जिनसे कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, ऐसे कार्यक्रम जो कि इस बात के लिये निहित हैं कि आदरणीय स्वर्गीय इन्दिरा

जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम में गोबर गैस संयंत्र नामक बिन्दु को रखा है उस को भी मूर्त रूप दिया जा सके, तो योजनाकर्ताओं को, निर्माताओं को इस को भी काफी वरीयता से योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए । आज जब देश ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है कि घरेलू ईंधन के इस्तेमाल की क्षमता का औसत केवल 25 प्रतिशत के करीब है, यानी तीन चौथाई ऊर्जा बेकार चली जाती है । ये सब जो पुराने विचार हैं, दकियानूसी विचारों की वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, स्वास्थ्य की हानि की समस्या है और साथ ही परिवार असंतुलन है और वन विनाश की ऐसी हालत है कि समग्र रूरल डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं उनके परमानेंट हल के लिए, उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए हम नहीं सोच पाए हैं, जिनकी ओर हमें ध्यान देना है ।

अन्यवर, गोबर गैस संयंत्र और सौर चूल्हे के प्रति भी हमारी ग्रामीण नागरिकों की प्रतिक्रिया अनुकूल और उत्साहजनक हो, ऐसा हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए । आज वक्त का तकाजा है कि इसकी सम्यक आवश्यकता को हम समझें और गांवों में गोबर गैस का सामूहिक रूप से उपयोग कर सकें और साथ ही सौर चूल्हों में आवश्यक परिवर्तन कर उनको सस्ते दामों पर लोगों को दे सकें, उन्हें जन-सामान्य को उपलब्ध कराएं । साथ ही स्टोव और गैस चूल्हे बनाने वाली कंपनियों पर क्वालिटी कंट्रोल करें, उन पर नियंत्रण रखें, उन सारी बातों पर हम प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक और कारगर कदम उठाएं तो हमने जिन खतरों के प्रति संकेत दिलाए हैं, उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं अन्यथा घरेलू ऊर्जा संकट की समस्या सुरसा के मुंह की तरह विकराल रूप धारण कर लेगी, उसके ऊपर सोचा जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद ।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, the tragedy of our country is this kind of senseless destruction of forests. As in any other walk of life, it is a few people who indulge in this destruction and the common lot, the poor people are unnecessarily chastised and punished. People who are dwelling in the villages near about forests are penalised for very very small things—like feeding their own cattle, which they naturally will have to, not with the big trees but with some leaves or some grass. That is why I want to submit that it is the very big contractors who are greedy and want to make a quick buck, have taken to this illegal destruction of forests on a large scale and they have not left any area. From Cape Comorin to the Himalayas this destruction has taken place on a vast scale and this greediness has led to very grave consequence of disturbance of total ecological balance in our country. Bharat which was *shasya shyamlay*—always green—has one-third portion slowly going into a desert. This tragedy will have to be faced very squarely, and we will nave to take very definite measures.

3 P.M.

So also, Sir, I want to state about another class, the capitalists who have taken to mining, sometimes illegal sometimes, even though legal, without any check or hindrance. This has also led to denudation of forests areas on a large scale, and once and for all they are becoming unfit even to grow grass, leave alone afforestation. Cement factories and especially the paper manufacturers have more or less become monarchs with their wealth. With big riches that they have got, they were able to bribe all agencies and were able to denude our forest wealth. The Government should take a very strong view of these activities and try to curb them and try to inflict very severe punishments so that nobody could dare to enter forest areas which are the most sacred possessions of our countrymen.

Another point as far as Andhra Pradesh is concerned is that the Government

[Dr. G. Vijaya Mohan Reddy]

has taken the afforestation drive as the most important subject on its hand. It is known in every village, at the gram panchayat level and at all other levels. The Labour Department and all other Departments have taken up the drive of planting trees everywhere, and the Forest Department in the forest areas. This is a huge drive in which we want to give employment also to lakhs of youth by giving them honorarium so that in the villages there is no decline in the trees and the villagers look after the trees. And, the money spent in this direction, we feel, is well spent because it will make our youth love the soil, love the plants, love the trees. It will be more or less life-breath to all our countrymen. We have taken up this drive as the most important drive that our State has thought of.

Anoher thing, Sir, is about supply of gas, gobar gas and such other programmes. This programme has been taken up in a very enlarged sphere. We are planning for community latrine programme inside the villages and supply of gas to the village community so that the villagers will get their gas supply also. That is why, Sir, we will have to take up this programme on a priority basis all over the country and try to involve all the villagers, especially the youth of the villages to take up the programme. We want to give them honorarium. Especially in these days of unemployment, Rs. 100 per month could be very easily provided. This will be giving employment making them interested in the developmental work. And after some time they can come on their own and carry on with developmental work as the direct agencies of the Government. And after some more training in various industrial or in other activities, they could very well man the entire development programme whether it is irrigation or cottage industries or village industries and give them a kind of self-reliance which is most essential. If we forget self-reliance in all aspects of our life, we will be forgetting everything. The torch-bearers of our freedom movement have solidly stood on their ground against the invaders, against the Britishers and secured not only the freedom, but also our right to live with our heads high. That is why I say self-reliance and afforestation drive will be in a position to inculcate these views amongst our youths. That is why I request the Central Government to take this programme as a priority programme.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री सुरेश पचौरी जी ने जो यह प्रस्ताव पेश किया है, हम उसका समर्थन करते हैं । इस प्रस्ताव में कहा गया कि हमारे देश में राजस्व अभिलेखों में कुल 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र चरागाहों के रूप में दर्ज है जबकि व्यावहारिक रूप में केवल वनों का प्रयोग चराई प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है और केवल 490 लाख टन जलावन लकड़ी का उत्पादन हो रहा है जब कि कुल मांग 1330 लाख टन की है। इस सभा की सम्मति है कि सरकार को तत्काल निम्नलिखित कदम उठाने चाहिये । इस 140 लाख हेक्टेयर भूमि के प्रबन्ध के लिए तथा बंजर भूमि को हरे-भरे चरागाहों के रूप में परिवर्तित करने हेतु राज्य सरकारों को अनुदेश दिये जायें और जलावन लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि के लिए और प्राथमिकता के आधार पर नये प्रकार के चूल्हों, वायोगैस और गोबर गैस के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जायें ।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी गम्भीरता को ही मद्देनजर रखते हुए हमारे देश की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने पेडों को लगाने की प्राथमिकता दी थी और एक जमाने में श्री संजय गांधी ने पेड़ लगाने की दिशा में भारी कदम उठाया था । आज हमारे देश के नेता और देश के प्रधान मंत्री ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाये जाने को सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक उद्देश्य के रूप में रखे हुए हैं । मैं माननीय वन विभाग के मंत्री जी

से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क की पेड़ों की नीति के संबंध में जब आप विचार करेंगे तो यह मानना पड़ेगा कि फोरेस्ट्स, वन और पेड़ों के बारे में बचपन में सुना करते थे कि किसान और गांव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज खेतीबाड़ी है । खेती का मतलब है अनाज पैदा करना और बाड़ी का मतलब है बगीचा । बचपन से ही हमारे देश के सात लाख गांवों में खेतीबाड़ी को बहुत महत्व दिया जाता था । लेकिन आजादी के 40 वर्ष के कार्यकाल में यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है । बाड़ी या बगीचे पूरे देश के पैमाने पर नष्ट हुए हैं । यानी आज बगीचे किसी किसान के पास नहीं हैं । गांवों में बगीचे खत्म हो गये हैं । खेती के बुनियादी विकास के लिए पेडों का रहना अति आवश्यक है । बिना पेडों के खेती भी अच्छी नहीं हो सकती है और खेती का भी कोई महत्व नहीं है । आज 70 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिसके पास 4 एकड़ से कम जमीन है । यह राष्ट्रीय सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि हिन्दुस्तान में 70 प्रतिशत किसान ऐसे हो गये हैं जिनके पास चार एकड़ से कम जमीन है । जब तक खेती को हम बुनियादी उद्योग मानकर हम खेती और गांव के विकास के लिए समयबद्ध और ठोस कदम नहीं उठायेंगे तब तक भारत के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते । हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना के तीन लक्ष्य हैं,—प्रोडक्शन, प्राडक्टीविटी और इम्पलायमेंन्ट यानी उत्पादन, उत्पादकता और रोजगार के अवसर सुलभ कराना । ये हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं । ये उद्देश्य तभी पूरे होंगे जबकि हमारे गांव के लोग खुशहाल होंगे । जब इस मुल्क की खेती तरक्की करेगी, खेती एक घाटे का धंधा न होकर लाभ का धंधा बनेगा खेती पर आधारित पशुपालन या खेती पर आधारित बगीचा या वनों को प्राथमिकता दी जाएगी तभी यह देश खुशहाल हो सकता है । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय आज गांवों में एक तरह का संकट पैदा हो गया है 70 प्रतिशत किसानों के पास चार एकड़ से कम जमीन है मैं पूछना चाहता हूं कि आधुनिक दौड़ में ट्रैक्टर से खेती की जुताई हो रही है और फार्टिलाइजर के बगैर अनाज पैदा नहीं हो सकता । तो किसानों के लिए ट्रैक्टर और ट्रक्टरों से जुताई और उसके बाद फर्टीलाइजर ट्यूबवैल या नहर से पानी और उसके बाद अन्य चीजों के लिए भी मशीनों का प्रयोग होता है । तो इस तरह से हमारी पूरी खेती का मशीनीकरण हो गया है । तो इससे चार एकड़, पांच एकड़ या दस एकड़ जमीन में खेती करने वाला किसान, मुझे यहां पर एक भी संसद सदस्य बताये कि जो छोटा किसान इस वक्त खेती पर मुनहसिर है अगर उसका कोई बैल मर जाय तो क्या वह बैल खरीद लेगा । जो खेती पर मुनहसिर है है और उसको बेटी की शादी करना है तो क्या वह अपनी खेती की आमदनी से उसकी शादी कर लेगा ? क्या ऐसा किसान अपने बच्चों को दिल्ली और लखनऊ के किसी बढ़िया स्कूल में पढने के लिए भेज सकता है ? अगर उस किसान का घर गिर जाये तो क्या वह अपने लिए दो कमरे बना लेगा ? मैं साफ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की खेती नीति पर, ऐग्रीकल्चर पालिसी पर पुनः विचार किया जाना चाहिए । ऐग्रीकल्चर को जब तक हम प्राफिट ओरियन्टेड, मुनाफे का धंधा नहीं बनायेंगे तब तक हम हिन्दुस्तान के 7 लाख गाँवों का विकास नहीं कर सकते और न खेती पर आधारित पशु पालन उद्योग पनप सकता है आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय आज मशीनीकरण के कारण आधुनिकीकरण के लिए किसान की कमर टूट गई है वह अपनी जमीन को, ट्रैक्टर किराये पर लेकर जोतता है और वह उस पर बढ़िया यूरिया इस्तेमाल नहीं कर सकता है । यह अपनी खेती पर ट्यूबवैल और नहर का पानी नहीं दे सकता है । आज किसान बाढ़ और सूखे, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण वह बिल्कुल बरबाद हो गया है ।

[श्री कल्पनाथ राय]

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, खेती बाड़ी छोटे किसान के लिए बहुत जरूरी है। छोटे किसान के पास अगर पेड हैं, बगीचे हैं, चरागाह है तो वह अपने भैंस; गाय और अपने बैलों को उसमें चरा सकता है। या वहां से चारा काट कर बल को खिला सकता था और बैल गाय या भैंस इन तीनों को छोटा किसान जब रखेगा तो उसका जो गोबर साल भर में होगा उसी से वह अपने चार एकड के खेत में खाद डालेगा और आर्गेनिक फर्टीलाइजर के माध्यम से अपने खेत में उत्पादन करेगा। जो पांच एकड़ वाला किसान है उसके पास दो बैल, एक गाय एक भैंस होगी, और इन दो चार पांच पशुओं के गोबर से साल भर में उसको इतना गोबर मिलेगा वह अपने खेत में आर्गेनिक खाद डाल कर प्रोडक्शन को कायम रखगा। दो बैलों से वह खेत को जोत सकगा, उन बैलों के लिए, पशुओं के लिए जो चरागाह हैं, जंगल हैं पेड बगीचे हैं, उससे अपने जानवरों को चरा कर पालन-पोषण कर सकता है। इस तरह से हमारे देश का किसान अपने दो बैलों से पांच एकड की खेती, अपनी भैंस, अपनी गाय के माध्यम से अपने बगीचे में उनको चराना, उनके गोबर का इस्तेमाल करने और फलदार पेडों को लगा कर आम, जामून या अमरूद या कटहल जैसे पेडों को उगा कर अपना जीवन चलाता है। तो खेती उसी से संबंधित है और उसी से संबंधित है उसके पशु और पशु पालन से संबंधित है उसका बगीचा। इन तीनों का एक साइकिल चलता था। अगर पशु से किसान को दूध दही मिले तो वह तन्दुरुस्त रहगा ?। उसके बेटे देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। अगर उसके पास गाय या भैंस हैं तो उसका वह दूध पीयेगा जिससे उसकी तन्दुरस्ती कायम रहेगी और भैंस और गाय के गोबर से वह अपने चार पांच एकड खेत में आर्गेनिक फर्टिलाइजर दे कर उसकी उर्वरक शक्ति कायम रखेगा लेकिन यह साइकिल है। इससे हमारे देश में हिन्दुस्तान के 7 लाख गांव और उसमें रहने वाले करोडों किसान एक शानदार और जानदार जिन्दगी जीते थे लेकिन वर्तमान आधुनिकरण के कारण जब कि 70 फीसदी किसानों के पास 6 एकड़ से कम जमीन हो गई है। तो जो गांव के गाँव पेड़ और बगीचे कट पेड और बगीचे कट गये हैं इन के कारण पशु धन और गाय पालना बन्द हो गया हैं भैंस पालना बन्द हो गया है या यह काम धीरे धीरे घटने लगा है। बैलों को रखना लोगों ने छोड दिया है। लोग अपने खेत को ट्रक्टर से जोतने लगे हैं पहले दो तीन सौ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ट्रेक्टर से अपना खत जोत लिया और फिर नहरों या ट्यूबवैल के पानी से सिचाई कर दी, इस तरह से खेती आज कल घाटे का धंधा हो गया है। चार-पाँच या छः एकड़ वाला छोटा किसान अगर ट्रेक्टर से खत जोतेगा, अगर नहर या ट्यूबवैल का पानी इस्तेमाल करेगा, महंगी खाद का इस्तेमाल करेगा, मशीनसे ट्योरी का काम करायेगा तो उस के पास जो उत्पादन होगा वह उत्पादन इन्हीं के किराये देने में ही खत्म हो जायेगा परिणामस्वरूप यदि उसका घर गिर जाये तो वह उसको नहीं बना सकता है, बैल मर जाये तो वह बैल नहीं खरीद सकता है, बेटी की शादी कर्जा ले कर करनी पड़ेगी। इसलिए हिन्दुस्तान की पूरी कृषि नीति के संबंध में बहुत गंभीरता से हमे विचार करना पडेगा। बाढ आई थी, मुझे पिछली बार अपने इलाके का दौरा करने का मौका मिला। मैं जब गांव में गया तो वहां मल्लाहों के बीच डिप्टी कलैक्टर भी मोजूद थे वहां पर गैहूं बांटा जा रहा था। सारे गांव के मल्लाह कह रहे थे कि आप हमें चावल और गेहूं तो दे रहे हैं लेकिन लकड़ी कहां है जिस पर हम अपनी रोटी पकायेंगे। अब एक नया संकट उभर कर आ रहा है। अनाज तो है, चावल तो है, गेंहूं तो है लेकिन सको पकाने के लिए लकड़ी नहीं है। हिन्दुस्तान के मायने दिल्ली नहीं हैं, हिन्दुस्तान के मायने बम्बई नहीं है हिन्दुस्तान के जो बड़े बड़ शहर हैं वहां तो गैस के चूल्हें इस्तेमाल हो रहे हैं और

रोटी पक रही है । पर जो हिन्दुस्तान के 7 लाख गांव हैं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रामानन्द जी मौजूद हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन 7 लाख गांवों में जलावन का बड़ा संकट उत्पन्न होने जा रहा है । लोगों के पास अनाज तो है पर रोटी पकाने के लिए लकड़ी नहीं है । पूरे 7 लाख गांवों में यह संकट है । पकाने के लिए लकड़ी नहीं है । एक नया गम्भीर संकट हिन्दुस्तान के गांवों के सामने उपस्थित होने जा रहा है । आप कितने लोगों को गैस कनेक्शन देंगे ? गांवों में गैस कनेक्शन देंगे तो आपके पास ट्रांसपोर्ट का इतना साधन नहीं है कि गांवों तक उसको पहुंचायेंगे और फिर पहुंचायेंगे तो ऐजेंसी कहां होगी, तो बड़ा भारी संकट है । इसलिए हिन्दुस्तान के 7 लाख गांवों के ईंधन की समस्या को दूर करने के लिए रामानन्द साहब यह जरूरी है कि हम वन लगायें, वन केवल फल ही नहीं देंगे, आर्थिक संतुलन ही नहीं कायम करेंगे, इकोलाजिकल बेलेंस को ही नहीं बनायेंगे इन्वायरनमेंट को ही शुद्ध नहीं करेंगे बल्कि जलावन को दूर करेंगे जल प्लावन को ठीक रखेंगे । वृक्षारोपण के माध्यम से हम अपने मुल्क में फलदार पेड़ों से फल पैदा करेंगे और उनको खाने से हमारे मुल्क के लाखों-करोड़ो लोगों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा । चाहे वे देहात के हों या शहरों के । उन फलदायर पेड़ों की लकड़ी से देश के 7 लाख गांवों के करोड़ों किसानों की जलावन की समस्या दूर होगी । उन पेड़ों से पैदा चारे को खिलाकर मुल्क में पशुधन को हम विकसित कर सकते हैं । इस मुल्क में हरित क्रांति हो गयी परन्तु बिना श्वेत क्रांति के हरित क्रांति का कोई मतलब नहीं है । जब तक इस मुल्क में श्वेत क्रांति नहीं होगी और इसकी बुनियाद वनरोपण वृक्षारोपण है तब तक कुछ नहीं होगा । जब हिन्दुस्तान के लाखों करोड़ों एकड़ जमीन में वृक्षारोपण होगा तो हमारे मुल्क में पशु गाय या भैंस वहां चरेंगी और उन से जो दूध मिलेगा उस दूध से, दही से या मक्खन से मुल्क के लोगों की तंदुरुस्ती बढ़ेगी । इसी प्रकार मुल्क के छोटे किसानों के लिए पूरा लोटना पड़ेगी मशीनीकरण से स्टेज तक कि जब बिना बैलों के खेती सम्पन्न नहीं होंगी। क्योंकि आज लगातार जमीन सिकुड़ती जा रही है । सन् 1947 में 50 फीसदी किसानों के पास 6 एकड़ से कम जमीन थी, आल इंडिया सर्वे के मुताबिक आज 70 फीसदी किसानों के पास 4 एकड़ से कम जमीन हो गयी है । आने वाले जमाने में तो और खेत में बटवारा होगा तथा जमीन कम हो जायेगी किसानों के पास इसलिए किसान ट्रैक्टर नहीं अफोर्ड कर पायेंगे, न ही किसान फर्टिलाइजर अफोर्ड कर सकेंगे और न ही मशीनीकरण के माध्यम से खेती कराने को अफोर्ड कर सकेंगे क्योंकि उनका सारा पैसा लुट जायेगा मशीनीकरण से खेती कराने में ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम ही राष्ट्र की जीवन में प्राण रस का संचार करता है । हिन्दुस्तान में पूरी आर्थिक व्यवस्था, एकानामी खेती पर मुनहसिर करती हैं । पूरा राष्ट्रीय विकास हिन्दुस्तान के गांवों पर मुनहसिर करता है । हम यूरोप का नकल करके कभी हिन्दुस्तान का विकास नहीं कर सकते हैं । पूरे यरोप के विकास की बुनियाद इण्डस्ट्रियलाइजेशन रहा है । शहरीकरण, औद्योगिकरण और मशीनीकरण के कारण यूरोप की आर्थिक व्यवस्था में विकास हुआ है पर हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था का आधार है ग्रामीणीकरण, कृषिकरण, या 7 लाख गांवों का विकास, खेती का विकास, खेती पर निर्भर जितने उद्योग हैं उनका विकास । हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हिन्दुस्तान का विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है । लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मानना पड़ेगा कि विकास के परिणामस्वरूप विलासिता के और आराम के नये-नये जो शहर बनते जा रहे हैं। आज गांवों को छोड़कर लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं और शहरों में अर्बनाईजेशन का एक्सपलोजन हो रहा है, आज दिल्ली में पानी का संकट उत्पन्न हो रहा है । आज बम्बई, कलकत्ता में स्लम्स की

[श्री कल्पनाथ राय]

समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि जीवन की जो आधुनिक आवश्यकताएं हैं, वह हमको शहरों में मिल रही हैं और देश के लोग लाखों की संख्या में गांवों को छोड़कर छोटे-छोटे शहरों की तरफ भाग रहे हैं। कुछ कलकत्ता, बम्बई, ग्वालियर और दिल्ली की तरफ, यानी जो भी छोटे-छोटे शहर हैं, उनकी ओर लोग भाग रहे हैं।

आज गांव में रहता कौन है? जो खेती करे, वह गांव में रहे, जो गरीब है, वह गांव में रहे और जो गरीब हो, वह खेती में रहे। खेती, गांव और गरीब यह सब एक दूसरे से जुड़े गये हैं।

इसलिए यह बुनियादी प्रश्न है हिंदुस्तान के विकास के लिए और हमारी सातवींपंचवर्षीय योजना ने उद्देश्य रख दिया है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इम्पलायमेंट, उत्पादन, उत्पादकता और रोजगार का अवसर। आज लाखों, करोड़ों किसानों के लड़के रोटी-रोजी की तलाश में कोई संसद सदस्य के पीछे, मंत्रियों के पीछे या देश के अंदर घूम रहे हैं बी० ए०, एम०ए० पास करने के बाद, क्योंकि अगर खेती लाभ का धंधा होती, तो कोई किसान का लड़का सौ, डेढ़ सौ रुपये की नौकरी नहीं करता, पर आज सौ रुपये की नौकरी करना किसान का बेटा पसंद कर रहा है और अपनी खेती करना पसंद नहीं कर रहा है। दस, बीस, तीस चालीस या पचास एकड़ तक भूमि जोतने वाले किसानों के लड़के दो सौ, तीन सौ, चार सौ की नौकरी करना चाहते हैं, मगर वह अपनी खेती का काम नहीं करना चाहते क्योंकि खेती पूर्ण रूप से एक घाटे का सौदा बन गया है और जब तक हिंदुस्तान में खेती मुनाफे का सौदा नहीं बनता, फायदे का धंधा नहीं बनता, तब तक न तो देश का उत्पादन बढ़ेगा, न इस मुल्क की उत्पादकता बढ़ेगी और जो करोड़ों नौजवान हिंदुस्तान में हैं, उनकी श्रम शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो पायेगा। हमारे देश के नेता, श्री राजीव गांधी जी ने लैंड आर्मी बनाने की बात की है कि लैंड आर्मी हम बनायेंगे। बड़े स्वागत की बात है। जब वह जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा था ... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : अब क्या हो रहा है, अब तो प्रधान मंत्री हैं?

श्री कल्पनाथ राय : इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी सहयोग की आवश्यकता है। हिंदुस्तान जैसे विकासशील देश की समस्याओं का हल टकराव की राजनीति से नहीं हो सकता। यह दुर्भाग्य है कि इस देश में केवल कुर्सी के चक्कर में टकराव की राजनीति को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अटल जी भी सुलझे हुए और समझदार नेता हैं। यह समझते हैं कि प्रजातंत्र या जनतंत्र अगर हिंदुस्तान में कायम है—पिछले तीस वर्षों से, यह विदेश मंत्री रहे हैं और इन्होंने देखा है कि एशिया, अफ्रीका के देशों में, दुनिया के जो विकासशील देश हैं, वहां जनतंत्र कायम हुए, मगर 90 प्रतिशत देशों ने जनतंत्र का गला घोंट दिया और फौजी तानाशाहों ने या बड़े-बड़े शासकों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली।

हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो गरीब होते हुए भी, जो पिछड़ा होते हुए भी, विकासशील होते हुए भी पिछले चालीस सालों में यहां जनतंत्र का दीया जल रहा है, (समय की घंटी) और इस जनतंत्र की शीतल छाया में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी लाखों की सभाओं को एड्रेस कर रहे हैं, मगर यह मौका पाकिस्तान में या बंगला देश में नहीं है।

तो हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कहा है लैंड आर्मी बनाने के लिए, लैंड आर्मी बनाने की बात की है। आज इस बात की सब से बड़ी आवश्यकता है कि हिंदुस्तान में लैंड आर्मी बनाई जाए और उसमें एक करोड़ लोगों को भर्ती किया जाए। उस लैंड आर्मी का काम होगा कि हिंदुस्तान में पांच वर्ष के अंदर 35 प्रतिशत जमीन पर फारेस्ट्री, पेड़ों को लगाये, इतने फलदार पेड़ों को 35 प्रतिशत जमीन पर लगा देना, उस लैंड आर्मी का लक्ष्य होना चाहिए कि

पांच वर्षों के अंदर हिन्दुस्तान के अंदर हम खुद अपने हाथों से लम्बी-लम्बी नहरों को बना कर वालंटरी जनता को इन्वाल्व करके हम मुल्क में सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे । उस लैंड आर्मी का काम होगा—कन्याकुमारी से कश्मीर तक पशुधन को—

गाय हमारी माता है,
देश-धर्म का नाता है ।

उस नाते को भी कायम करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक करोड़ों गायों का विकास करना होगा । आदरणीय अटल जी मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि 1947 में हिन्दुस्तान में पशुधन करीब 16 करोड़ था, जो आज घटकर 4 करोड हो गया है जिसमें गऊ माता की सब से बड़ी घटौत्तरी हुई है । तो हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में गाय-भैंस का संवर्द्धन हो, पशुधन का संवर्द्धन हो । काश्मीर से कन्याकुमारी तक इस लैंडआर्मी के माध्यम से, विदेशों से कालैबोरेशन करके यह सब करना चाहिए । आदरणीय वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमारे यहां पर जो 1947 में पशुधन था वह आज $\frac{1}{3}$ हो गया है जबकि हिन्दुस्तान में जनसंख्या 35 से 70 करोड़ हो गई है । पशुधन 16 करोड़ से घट गया है । हिन्दुस्तान के अन्दर लैंड आर्मी के माध्यम से पशुपालन को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाकर पशुधन का संवर्द्धन और विकास करना चाहिए । लैंड आर्मी के माध्यम से पांच वर्ष के अन्दर पूरे हिन्दुस्तान की 33 प्रतिशत जमीन पर यहां पर क्लाइमैटिक कंडीशन्ज को ठीक करने के लिए, 33 प्रतिशत धरती पर जो कि उसर और परती पड़ी हुई है, जो गांवों में बंजर जमीन पड़ी है, वहां पर भी पेड़ों को लगाना चाहिए । इसके माध्यम से पूरे मुल्क में इरीगेशन और गांवों में सड़के बनाने का काम होना चाहिए । यह सारा काम लैंड आर्मी के माध्यम से हो सकता है । अगर सरकार तैयारी करे तो यह काम हो सकता है और पांच वर्ष के अन्दर हो सकता है । इसमें पांच वर्ष तक जो काम करेगा उसे भोजन देंगे और कपड़ा देंगे, और जो पांच वर्ष तक उसमें काम करेगा उसको तनख्वाह देंगे । अगर ऐसा हो तो करोड़ों बेरोजगार युवक उसमें भर्ती होने को तैयार हैं । राष्ट्र के पैमाने पर पशुधन का विकास, वृक्षारोपण का कार्य, नहरों का कार्य और सड़कों को गांव-गांव से जोड़ने का काम लैंड आर्मी के माध्यम से होना चाहिए । प्रधान मंत्री ने वृक्षारोपण और वनरोपण को अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी है । मैं कहना चाहता हूं कि यह हिन्दुस्तान के लिए जीने और मरने का सवाल है । यह काम केवल सरकार के माध्यम से ही नहीं हो सकता है, आजादी की लड़ाई केवल तनख्वाह के माध्यम से ही नहीं लड़ी गई थी । गांधी की सेना में लाखों लोग भर्ती हुए जिन्होंने फांसी के तख्ते को चूम लिया, सीने पर गोलियां खाईं । देश की आजादी की लड़ाई में लाखों-करोड़ों युवकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया । इसलिए नए राष्ट्र का विकास करने के लिए, विश्व-शांति के सन्देश को मजबूती से दुनिया में फैलाने के लिए आर्थिक आजादी हासिल करना बहुत आवश्यक है । यह तभी हो सकेगा जब मुल्क के करोड़ों करोड़ लोग आर्थिक आजादी के सवाल पर एक होंगे और सारे राजनीतिक दल अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे । जब वे जनतंत्र का दिया जलाने के लिए रोटी, कपड़ा, दवा, शिक्षा आदि की व्यवस्था करेंगे तभी देश का विकास होगा । जब वे आजादी के लड़ाई के उद्देश्यों को सामने रख कर, आजादी के अतीत को सामने रख कर भविष्य के सुहावने दिनों का निर्माण करेंगे तभी देश बन सकता है । आज सवाल आर्थिक आजादी का है । वह आर्थिक आजादी टकराव की राजनीति से नहीं आयेगी । पिछले 40 सालों से हिन्दुस्तान में टकराव की राजनीति चल रही है । श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को युद्ध

[श्री कल्पनाथ राय]

स्तर पर लागू किया है । सन 1975-76-77 के बीच में एक राष्ट्रीय पैमाने पर परिवार नियोजन के काम को शुरु किया गया । यह परिवार नियोजन का काम हमारे देश के लिये मरने-मिटने का सवाल था । यह राष्ट्र के सरवाइल का सवाल था, यह मुल्क के जिन्दा रहने का सवाल था लेकिन उस परिवार नियोजन और नसबंदी के सवाल का मुद्दा बना दिया हमारे विरोधी दलों ने और उसी को असली सवाल बना कर सत्ता में आ गये। जब मुल्क में कोई राष्ट्रीय सवाल उठेगा तो उस को राजनीतिक सवाल बना लेंगे। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जैसे विकासशील देश में अगर जनतंत्र का दीया जलाना है और इस में आर्थिक आजादी की लड़ाई जीतनी है और यदि यहां गांधी जी और नेहरू जी के सपने को, भगत सिंह और बिस्मिल के सपने को साकार करना है, अगर यहां गफ्फार खान और अशफाकुल्ला और चंद्रशेखर आजाद के सपने को पूरा करना है तो हमें इस वनरोपण और वृक्षारोपण के सवाल को राष्ट्रीय सवाल बना कर राष्ट्र में युद्धस्तर पर काम करना होगा ।

एक अंतिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । हमारे सुन्दर लाल बहुगुणा जी पेडों की रक्षा के लिये काम करते हैं और उन्होंने पेड लगाना अपने जीवन का धर्म बना लिया है । उन्होंने कहा है :

"The leader of the Chipko movement, Mr. Sunderlal Bahuguna, cannot but be shocked by what he saw during his recent 2500-kilometre trek across the Himalayan region. The receding greenery in the region, nearly 60 per cent of which was covered by thick forest at the beginning of the century, must have come to him as a rude shock..."

उन्होंने बताया कि पूरे हिमालय में जंगलों को ठेकेदार ऐसे काट रहे हैं कि सारा हिमालय आज रेगिस्तान सा नजर आने लगा है । व्यापारिक कामों के लिये हम पेड़ों को काट सकते हैं लेकिन पेड़ लगाने में 15, 20 साल लग जाते हैं और उनको एक दो घंटे में नष्ट किया जा सकता है, काटा जा सकता है । लेकिन पेड़ों को लगाने में समय लगता है । तो जिस तरह से पूरे राष्ट्र के पैमाने पर पेड़ों को नष्ट किया गया है । वह देश की भौगोलिक दृष्टि से बहुत खतरनाक बात है और वह देश के लिये एक राष्ट्रघाती और जनघाती कदम है और इस लिये इस देश के राष्ट्रीय जीवन मे प्राण-रस का संचार करने के लिये वृक्षारोपण युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए और देश की आर्थिक आजादी हासिल करने के लिये हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों के विकास और उन के सर्वांगीण विकास के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। यह सात लाख गांव तभी विकसित होंगे जब उन की खेती विकसित होगी, जब उन का पशुधन विकसित होगा, जब इन सात लाख गांवों की खेती बारी, बाग बगीचे विकसित होंगे और जब इन सात लाख गांवों में काम करने वालों के बच्चों को रोजगार के पूरे अवसर मिलेंगे और तभी हम आजादी की लड़ाई के अतीत को सामने रख कर भविष्य के सुनहरे जीवन का निर्माण कर सकेंगे ताकि हिन्दुस्तान 21वीं सदी में पहुंच सके और राजीव गांधी का हिन्दुस्तान सारी दुनिया को विश्व शान्ति का संदेश दे सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव हमारे सामने है वह बहुत महत्वपूर्ण है । इस प्रस्ताव के जरिये चार चीजों का उल्लेख उन्होंने किया है । और इस सदन की, सरकार की और सारे देश की दृष्टि उस ओर खींची है । प्रस्ताव के पहले भाग में उन्होंने कहा है कि "हमारे देश में राजस्व अभिलेखों में कुल 140 लाख

हेक्टेयर क्षेत्र चरागाहों के रूप में दर्ज है जबकि व्यावहारिक रूप में केवल वनों का प्रयोग चराई प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है। और दूसरे भाग में कहा है कि 'केवल 490 लाख टन जलावन लकड़ी का उत्पादन हो रहा है जब कि कुल मांग 1330 लाख टन की है। इन समस्याओं के हल के लिये उन्होंने सुझाव दिया है कि "इस 140 लाख हेक्टेयर भूमि के प्रबंध के लिये तथा बंजर भूमि को हरे भरे चरागह के रूप में परिवर्तित करने हेतु राज्य सरकारों को अनुदेश दिये जायें और दूसरे के लिये कहा है कि जलावन लकड़ी का उत्पादन में वृद्धि के लिये और प्राथमिकता के आधार पर नये प्रकार के चूल्हों, बायोगैस और गोबर-गैस के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये कदम उठाये जायें।"

यह सुझाव तो बहुत अच्छे हैं और समस्या बहुत गंभीर है। मगर उस को किस ढंग से सरकार हल करना चाहती है यह देखना जरूरी है। हम को आजाद हुए 39 साल हो गये हैं और यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसा कल्पनाथ राय जी ने और दूसरे सदस्यों ने बताया है कि पहले किसान इस देश में संतुष्ट जीवन गुजारते थे। उनके पास दो बैल रहते थे, एक भैंस रहती थी, एक गाय रहती थी और कुछ खेती रहती थी। खेती तो उनकी रह गयी लेकिन उन की बाड़ी खत्म हो गयी। उसके पास आज बगीचा नहीं रहा। कोई पास्चर लैंड उन के पास नहीं रही। जानवरों को चराने के लिये कोई जगह बची नहीं। सिर्फ उसके पास एक दो एकड़ जमीन रही और उस को भी वह छोड़ने की हालत में है। तो इस परिस्थिति में समस्या गंभीर बनती जा रही है और किस तरह से इस समस्या का हल ढूंढा जाय इस की तरफ सरकार की कोई तवज्जेह नहीं है। तो कई चीजें हैं। बंजर जमीन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान हो या चरवाहा हो, वह बंजर जमीन में क्या करेगा। इस देश में या तो बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है। आंध्र प्रदेश हो या उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या राजस्थान हो, बाढ़ और सूखे से चार, पांच साल से सब मुसीबत में पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ आती है और कितने ही एकड़ जमीन खराब होती जा रही है। तो किसान जानवर चराने के लिये कहां जायें। वह जंगलों में पनाह लेता है। उन को काटता है या उस जमीन का खेती के लिये उपयोग करता है और इस से जंगल आज खत्म हो रहे हैं। इस के लिये सरकार को सोचना चाहिए कि इस को कैसे रोका जाय। इस समस्या को कैसे हल किया जाय। बहुत गंभीरता से इस को सोचना चाहिए। जहां तक बंजर जमीन को हरा भरा बनाने की बात है, हम ने सदन में भी कहा और बाहर भी कहा कि जहां सूखा पड़ा हुआ है सारे देश में, आंध्र प्रदेश में है और दूसरे प्रदेशों में भी है—मैं आंध्र प्रदेश के लिये इस लिये कह रहा हूं कि हम ने चार बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट की एक योजना सरकार के सामने रखी थी। हम ने उस के लिये भारत सरकार से कोई पैसा नहीं मांगा था। हम ने यह कहा कि हम को इन प्रोजेक्टों की अनुमति दीजिए। यहां से चार साल हो गये और इस बीच डेपुटेशन गये, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी लिखा केन्द्र सरकार को, मगर आज तक कोई जवाब नहीं। हर समय मामला अंडर कंसीडरेशन है। हम सोच रहे हैं कि क्या देश डूबने के बाद यह सोच पूरा होगा। वहां चार, पांच साल से सूखा पड़ा हुआ है। सूखा पड़ने के दो महीने बाद यहां की टीम जाती है और वह अपनी रिपोर्ट देती है अधिकारियों को और सहायता पहुंचती है एक साल के बाद जब कि समस्या समाप्त हो जाती है तो जहां सूखा पड़ता है वहां अगर इरिगेशन का कोई योजना बने तो उसको तुरन्त हाथ में लेना चाहिए। उस के लिये

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

आप को मदद करनी चाहिए । हम ने आप को परमीशन के लिये, क्लियरेंस के लिये लिखा, लेकिन वह आज तक नहीं हुआ । तैलगू गंगा प्रोजेक्ट वैसे ही पड़ा हुआ है, वंशधारा प्रोजेक्ट वैसे ही पड़ा हुआ है । मैंने ये कुछ उदाहरण आंध्र प्रदेश के दिए हैं लेकिन ऐसे कई प्रोजेक्ट्स देश के अंदर हो सकते हैं । सरकार को चाहिए कि उन पर अमल करे । यदि देश को खुशहाल बनाना है, हराभरा बनाना है, सारी बंजर जमीन को सरसब्ज बनाना है तो आपको ऐसी तमाम योजनाओं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को मदद करनी चाहिए तभी यह देश सुधर सकता है, तभी देश खुशहाल हो सकता है, तभी इस देश के गांव सुधर सकते हैं । जैसा कि कल्पनाथ राय जी ने कहा देश में करीब 7 लाख गांव हैं, वे खुशहाल हो सकते हैं, तभी हिन्दुस्तान शक्तिशाली बन सकता है । तो मेरा भी कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

दूसरी चीज जो बहुत अहम है, वह यह है कि गांवों में 80 प्रतिशत लोग जिंदगी बसर करते हैं, बाकी के 20 प्रतिशत लोग शहरों में हैं । उनके पास खाना पकाने की गैस नहीं है । बायोगैस और गोबरगैस कितने लोग इस्तेमाल करते हैं ? मुश्किल से 2–3 प्रतिशत लोगों के पास यह सुविधा होगी या वे इसे इस्तेमाल करते होंगे । बाकी लोग तो जंगल की लकड़ी, पत्ते या गोबर ही इस्तेमाल करते हैं । जंगल की लकड़ी को वे जलाने के काम में लाते हैं जिससे जंगल नष्ट होते हैं । तो इसके लिए योजनाएं बनानी चाहिएं और जितनी मांग है उसे पूरा करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिएं । इसके साथ ही जंगलों में नये पेड़ लगाने के कार्यक्रम होने चाहिएं । अगर हम ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे जंगल तबाह हो जाएंगे । आंध्र प्रदेश में वहां की सरकार ने ऐसा किया है, ऐसे कार्यक्रम गांवों में दिए हैं, ग्राम पंचायतों से लेकर जिला स्तर पर ऐसी हिदायतें दी गई हैं कि जगह जगह पेड़ लगाए जाएं । सड़क के दोनों ओर खाली जमीन पर, बंजर जमीन पर पेड़ लगाए जाएं, उसके लिए योजनाएं बनाई हैं । गांवों में 300 पेड़ों की जिम्मेदारी एक आदमी को दी गई है और उसे 50 पैसे प्रति पेड़ रखवाली के लिए दिए जाते हैं । इस तरह से उस आदमी को डेढ़ सौ रुपया प्रतिमास मिल जाता है । इस कार्यक्रम को हमने अपने हाथ में लिया है । मैं तो कहूंगा कि सारे देश में ऐसे कार्यक्रम अपनाए जाएं और सरकार को ऐसे कार्यक्रम देश के लिए सोचने चाहिएं । बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएं और जहां सूखा पड़ता है उसको रोकने के लिए बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं और जो पानी समुद्र में जाता है उसका उपयोग करने की योजनाएं बनाई जानी चाहिए । तभी ये समस्याएं हल की जा सकती हैं । जो प्रस्ताव श्री पचौरी जी ने रखा है, जिसके जरिए उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है, उससे ये समस्याएं हल हो सकती हैं । उनके समर्थन में जो सुझाव मैंने दिए हैं, मैं समझता हूं कि सरकार उन पर विचार करके उन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेगी ।

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय पचौरी जी ने जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, वह देखने में छोटा है, मगर इसका बहुत व्यापक प्रभाव है अगर इसको सही रूप में अमल किया जाए । कल्पनाथ राय जी ने इसको और व्यापक बना दिय है । उनको भी इसमे जोड़ दें और हम उन पर जाएं तो एक उपयोगी संकल्प हो सकता है बशर्ते कि इस पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलजुलकर विचार करे और उन पर अमल करें ।

मान्यवर, दुर्भाग्य यह है कि सरकारी संपत्ति को अपना नही समझा जाता है । बल्कि कहावत यो है कि सरकारी संपत्ति

से जो मिलता है ले लो । सरकार से तेल भी मिले तो कपड़े में ले लो, भले ही कपड़ा भी खराब हो जाए और तेल भी बरबाद हो जाए । जो सरकारी भूमि है, वन विभाग है, वह लुट रहा है । मेरे पास उत्तर प्रदेश में वन विभाग रहा है, मुझे मालूम है कि वन विभाग की जमीन पर कितना दबाव है । पालिटिकल पार्टीज, लीडर, कार्यकर्ता, जिस तरफ से भी मै निकला लाल, पीले झंडे लेकर निकलते थे कि हम को जमीन दे दो । वन की जमीन दे दो । नैनीताल की तराई में पता नहीं कितने लोगों ने कब्जा कर लिया । मैंने बहुत सख्ती से उसमें काम लिया । कार्यकर्ताओं को जेलों में जाना पड़ा और जिन्होंने यह लिखकर दिया कि वन जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तब उन्हें छोड़ा गया और जिन्होंने नहीं लिखा वे वहीं जेल में रहे । मिनिस्टरों से हमने कह दिया था कि सरकारी सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । यह फैसला किया जाता है कि फारेस्ट की जमीन को बढ़ाना चाहिए, 33 फीसदी बढ़ाना चाहिए लेकिन 16 फीसदी से ज्यादा नहीं है । उधर यह मंत्री परिषद का फैसला होता है और इधर जिस पर दबाव पड़ जाता है वह फारेस्ट की जमीन दे बैठता है । सौभाग्य से चौधरी साहब, चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे । इटावा के बकेवर कालिज को 300–400 एकड़ जमीन दी गयी । मेरे रिजेक्ट करने के बावजूद भी उन्होंने फाइल मंगा कर दस्तखत कराकर वह जमीन उनको देने की बात की । चौधरी साहब को पता नहीं किस की मलामियत हो गई । मैंने भी फाइल मंगा कर इसको रिजेक्ट कर दिया । बकेवर कालिज के प्रिंसिपल ने क्या लिखा था मैं आपको बता सकता हूं । कई उदाहरण दे सकता हूं कि फारेस्ट की जमीन लेने के लिए, उन्होंने क्या-क्या उपाय किये । उन्होंने कहा कि भूमि संरक्षण की ट्रेनिंग का हमारे यहां कोर्स होता है लिहाजा हमें जमीन दे दी जाए । इसकी जांच तक नहीं हुई । चौधरी साहब ने फाइल मंगा कर दस्तखत करके जमीन देने की बात कर दी । मैंने कलेक्टर से बात की। उन्होंने कहा लिखकर पूछो । मैं ने लिख कर दिया । जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि न कोई क्लाम लगती है, न भूमि सरक्षण का कोई कोर्स होता है, न कोई टीचर है और न कोई स्टूडेंट है, न कोई काम है । तब मुझे और मौका मिल गया । मैंने जमीन खारिज कर दी । कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ने नैनीताल में फारेस्ट की जमीन का अनधिकृत कब्जा किया । हमने कहा कि मंत्री परिषद जो फैसला करेगी हम उसे मानेंगे । जमीन दे देंगे । लेकिन नहीं दी । मैंने कहा कि तुम सारे पहाड़ी लोग नैनीताल में इक्ट्ठे हो गये । अगर हर जिले में देनी पड़ेगी तो उसी जिले की जमीन उसी जिले के लोगों को देंगे तो बात बनेगी नहीं । वे वहां बिखर गये । बाकी जेल में रहे । उनको छोड़ दिया गया जिन्होंने यह लिखा कि हम कब्जा नहीं करेंगे । यह व्यक्तिगत बात मैंने बताई है ।

सरकारी विभागों को अगर देखा तो उनकी गिद्ध दृष्टि भी फारेस्ट जमीन पर पड़ी हुई है । चाहे पी डब्ल्यू डी विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे डेम विभाग हो या और कोई विभाग हो । हमारे सामने कितने ही प्रोपोजल आये, मैं जबानी बता सकता हूं, मुझे कई घटनाये याद आती हैं । हरिद्वार से देहरादून के बीच की सीधी सड़क फारेस्ट के बीच से निकाली जाए । ऋषिकेश से होकर थोड़ा सा चक्कर है । मेरे होते हुये यह फारेस्ट जमीन नहीं दी जायेगी, यह मैंने कहा । मिनिस्टर मंगल देव ने बड़ी खुशामद की मेरी । महकमे के महकमे लगे जमीन बांटने, सरकारी अफसर लगे जमीन बांटने । वे सार्वजनिक हित सोचते नहीं है । जो जिसको आबलाइज कर दे तो वह अपने को गौरवान्वित समझता है । मैंने अफसरों को समझाया, दूसरे लोगों को समझाया । मेरे जमाने में हरिद्वार-देहरादून की सड़क नही बनी । बाद में मैं चला गया तो जंगल भी काटे गये और सड़क भी काटी गयी । बिजली विभाग के लोग हैं, डैम वाले

[श्री बो० सत्यनारायण रेड्डी]

लोग हैं, क्वार्टर वाले लोग हैं, गरीब मजदूर लोग, किसान लोग चाहते ही हैं मगर विभागों के लोग यह कहें कि हमें फारेस्ट की जमीन दे दो यह बात जंचती नहीं । मैं समझता हूं शायद राष्ट्रीय हित इस वक्त लोगों के दिमाग में नहीं रहता । महकमे के लोग इस तरह से झगड़ते हैं जैसे कोई जायदाद बंट रही हो। इसमें भी सौदा करते हैं कि हमें इतना दे दो तो, उतना दे दो। जो फारेस्ट की जमीन है उस पर सबकी गिद्ध दृष्टि है । वन वैसे ही कम हो रहे हैं । ऊपर से जो कटान हो रहा है जिसके लिए बहुगुणा जी का आन्दोलन हुआ था, कल्पनाथ राय जी ने भी जिनका चर्चा की, यह बात सच है हमारे जे एन सिंह एक अफसर इसी बात पर कई बार पिटे कि वे जंगल कटवाने वालों से झगड़ा करते थे । मैंने उस अफसर को इनाम दिया । बहादुर सिंह, डी०एफ०ओ०, का नाम भी मुझे याद है, इन्होंने भी फारेस्ट की जमीन से लोगों को हटाने में एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था । एक तो फारेस्ट की जमीन पर कब्जा करने की नीयत सब लोगों की है, व्यक्तिगत तो है ही विभागों की भी है । जहां जमीन कम है या सड़कें हैं, जहां नहरों की पटरियां खाली हैं, रेलवे लाइन है, सड़कें हैं उन पर विभाग अगर काम नहीं कर सकता तो पड़ोसियों के किसानों को यह कह दिया जाए कि वह वहां पेड़ लगायें, उसका फल और उसकी कीमत उन्हीं किसानों को दी जाए ? वे देखभाल भी करेंगे और कटने भी नहीं देंगे । पेड़ भी लग जायेंगे और आपका सार्वजनिक हित भी हो जाएगा । उसका लाभ किसानों को भी हो जाएगा । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के विभिन्न विभाग किसानों की मदद नहीं कर सकते हैं ? मैं समझता हूं कि अगर वे चाहें तो किसानों की मदद कर सकते हैं । नहरों के पास जमीन खाली पड़ी होती है, सड़कों के किनारे और रेलवे लाइन के किनारे की जमीन का भी दुरुपयोग हो रहा है । अगर यह जमीन किसानों को दे दी जाये और उन्हें कहा जाय कि जो पेड़ इन स्थानों पर लगायेंगे, चाहे वे फलदार पेड़ हों या लकड़ी वाले पेड़ हों, वे उनके मालिक होंगे तो किसान बहुत बड़ी संख्या में पेड़ लगा सकते हैं । ये तीन-चार जगहें ऐसी हैं जिनका किसानों के हित में उपयोग किया जा सकता है ।

दूसरी बात इस संकल्प में चरागाहों की कही गई है । हमारे देश में चरागाह भी कम होते जा रहे हैं । जिस तरह से फारेस्ट की जमीन कम हो रही है उसी तरह से चरागाह भी कम होते जा रहे हैं । पशुओं के चारे के लिए चरागाहों की बहुत आवश्यकता है । गांवों के अन्दर गांव सभा की जो जमीन होती है उसका दुरुपयोग होता है । प्रधान लोग मिलकर उसका दुरुपयोग करते हैं । अभी मैं कुछ दिन पहले नोएडा गया था । वहां पर लोगों ने मुझ से अनेक प्रकार की शिकायतें कीं । आजकल ग्राम प्रधान भी गजब के हो गए हैं । गांवों में यह दिखाई देता है कि गांव सभा की जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है । लोग राष्ट्रीय सम्पत्ति को राष्ट्रीय सम्पत्ति समझते ही नहीं है। जितना उसका दुरुपयोग हो सकता है, करते हैं । मेरा कहना है कि गांवों में ग्राम सभा की जमीन को चरागाहों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है । अगर सरकार सिंचाई के साधन बढ़ाये और लोगों को व्यक्तिगत रूप से चरागाह बनाने के लिए प्रोत्साहन दे तो हमारे देश में चरागाहों की संख्या बढ़ सकती है ।

इस संकल्प में बचत का जिक्र किया गया है, बायोगैस और गोबर गैस का भी जिक्र किया गया है । अभी हमारे देश में खाना पकाने की के लिए गांवों में जो चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे महिलाओं की आंखों पर भी असर पड़ता है और उनकी आंखें खराब हो जाती हैं । अगर लकड़ी के बजाय बायोगैस और गोबर का प्रबन्ध हो जायेगा तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी । अब तो सूरज की रोशनी से खाना बनाने के चूल्हे भी बन चुके हैं । सूरज के ताप से जो खाना बनता है वह

बहुत स्वास्थ्यवर्द्धक भी होता है। काशीपुर में एक बाली फार्म है जहां पर सारा खाना सूरज की रोशनी से बनता है। यहां पर हर रोज चार सौ और पांच सौ लोगों के लिए सूरज की ऊर्जा से खाना बनाया जाता है। मैंने खुद यह खाना खाया है। सूरज की रोशनी से ही पानी गरम किया जाता है और खाना भी बनाया जाता है। अनेक बीमारियों का इलाज भी यहां पर किया जाता है। काशीपुर में यह मशहूर फार्म है। बाली फार्म के नाम से जाना जाता है। यहां पर गाय के पेशाब से और अन्य प्राकृतिक साधनों से कई प्रकार के रोगों के इलाज भी किये जाते हैं। यही हमारी दिल्ली में डा० मुल्क राज आनन्द जोशी रोड पर लोगों का इलाज प्राकृतिक ढंग से करते हैं। उनका कहना है कि आग से बनी चीजों में कई पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कई चीजों को पकाने की जरूरत नहीं होती है। वे अंकुरों से कैंसर जैसे रोगों का इलाज करते हैं। चने, गेहूं और मूंग जैसे अनाजों को पानी में भिगोकर खाने से स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उनके अंकुरों से असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है . . . (**व्यवधान**)। खीर को पकाने की जरूरत होती है। इसलिए खीर नहीं मिलती है। लेकिन बेल का हलवा उन्होंने जरूर हमें खिलाया है। इस प्रकार से अगर सूर्य की ऊर्जा से खाना बनाया जाएगा तो उससे अनेक लाभ हो सकते हैं। हमारी मां-बहिनों की आंखें भी खराब होने से बच सकती हैं। सूर्य की रोशनी से दाल, चावल, रोटी सब कुछ बन सकते हैं। अभी हमारे देश में स्थिति यह है कि तेल में बनी चीजों के कारण अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। घी में बने परांठे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होते। कितने ही लोग हार्ट की बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। ब्लडप्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर हम प्राकृतिक ढंग से रहना सीख लें और बढ़प्पन की निशानी से दूर रहे तो बहुत से रोगों का इलाज हो सकता है और हम रोगों से दूर भी रह सकते हैं। चूंकि मुझे अभी जाना है, इसलिए मैं अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि कई पदार्थों को कच्चे रूप में खाने से काफी लाभ मिलते हैं। मैं प्रस्तावक महोदय मे संकल्प

4 P. M. का हृदय से समर्थन करता हू और आशा करता हू कि केन्द्र और राज्य अपने बीच में सामंजस्य स्थापित करेंगे। हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य यह भी है कि हमारे यहां केन्द्र और राज्यों में सामंजस्य नहीं है। हम यहां कुछ सोचते है, आदेश देते हैं लेकिन राज्य सरकार उसका पालन नहीं करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्यों के बीच सामंजस्य हो। अभी रेड्डी साहब ने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने केन्द्र को लिखा था तो यह भी एक भावना गलत हो गई है। हमारे गांवों में उपसभाध्यक्ष की बहुत पुरानी परम्परा है जो कि अपनी जगह पर सही नही है। लेकिन जिन गांवों में मवेशी बीमार हो जायें वे अपने गांव के भैंस के सींग पर तेल लगायेंगे, उसको सजायेंगे और उसको दूर गांव में चोरी से घुसा देंगे। भावना यह है कि हमारे गांव की बीमारी फलां गांव में चली जाए। वे यह रात में करते है। अब रेड्डी साहब आंध्र की बीमारी केन्द्र पर डालना चाहते हैं, अपनी भैंस को केन्द्र पर छोड़ रहे हैं। केन्द्र भी कभी-कभी राज्य सरकारों के सामने अपनी भस छोड़ देता है, उनमें टकराव होता है। हमारी योजनाओं में सामंजस्य नही है। किफायत हो सकती है और काम की तरक्की हो सकती है अगर 100 फीसदी नही तो 10 गुना तरक्की हो सकती है अगर केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें। मैं आभारी हूं जो आपने मुझे समय दिया।

ग्रमीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : जंगल का संबंध जोगियों से है वह. . .

श्री रामचन्द्र विकल : वह आपका महकमा है, वहीं ले चलेंगे। आपको मेरे साथ जंगलों में जाना पड़ेगा।

[श्री राम चन्द्र विकल]

मैं पचौरी जी का आभार मानता हूं जो उन्होंने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है और जितने भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं उनका भी आभारी हूं। मैं रेड्डी साहब से कहना चाहता हूं कि वे यह निरा हम पर न छोड़ें आपको भी कुछ करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार मानता हूं

श्री कैलाशपति मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं? राज्य मंत्री श्री रामानन्द यादव जी वहां दिखाई दे रहे हैं इसलिये मुझे भरोसा है कि यह बिल पास होकर रहेगा।

महोदय, देश के अंदर कई क्षेत्रों में आज अराजकता फैली हुई दिखाई दे रही है और इस अराजकता पर काबू कैसे पाया जाये इसके लिये कोई ठोस कदम उठाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज प्रातः 9.30 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में प्रदूषण का एक स्लाईड चित्र दिखाया गया। उसमें दिखाया गया कि प्रदूषण संपूर्ण देश को किस तरह अपने में लपेट रहा है। करीब-करीब हर राज्य के चित्र दिखाये गये और इनको देखने के बाद ऐसा लगा कि कहीं देखते देखते यह पूरा भारत रेगिस्तान में न बदल जाये, मरुस्थल में न बदल जाये। यह चित्र केन्द्र सरकार की ओर से दिखाया गया है। महोदय, देश के अन्दर खेती लायक जमीन आज मात्र 39 करोड़ एकड़ है। थोड़ी बहुत और जमीन जो खेती में खींची जा सकती है वह 4 करोड़ एकड़ एकड़ से कुछ ज्यादा नहीं है। हमारे देश की आबादी 70 करोड़ से ऊपर जा रही है और इस आबादी की 82 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। अब अगर जो बच्चा पैदा हुआ है हर एक के पास खेती ही साधन हो तो 30-40 करोड़ एकड़ खेती को अगर 80 प्रतिशत आबादी में बांटा जाय तो प्रति व्यक्ति एक एकड़, जमीन भी प्रत्येक के हिस्से में नहीं आयेगी उनको इसके लिये व्यवस्था करनी होगी, इसके लिये रचना करनी होगी। महोदय, इसके अंदर विवरण में है कि 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर जमीन आज भी सरकारी रिकार्ड के ऊपर चरागाहों के रूप में अंकित है। लेकिन मैं विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि 40 लाख हेक्टेयर भी चरागाह आज भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, गांव के गांव चारों तरफ घूम जाइये चरागाह नहीं हैं, बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है, शुद्ध वायु प्राप्त हो सके उसके लिए खाली जमीन दिखाई नहीं दे रही है? दूसरी ओर जो हमारा प्राकृतिक धन है, कई प्रकार का प्राकृतिक धन है, राष्ट्र की बहुत बड़ी सम्पत्ति के नाते से संचित था वह बरबाद होता चला जा रहा है। मैं बिहार से आता हूं! एक बार मैंने पहले भी उल्लेख किया था। दो इलाके बिहार के अन्दर है जहां एशिया में सर्वोत्तम लकड़ी पायी जाती है रांची और सिंहभूम के अन्दर जहां का सिमेंडा का जंगल एशिया का नम्बर वन का जंगल माना जाता है पिछले 6-7 वर्षों के अन्दर साल के जंगलों को करने का एक उन्माद सा चल गया है। साल वृक्ष 80 वर्ष से लेकर 120 वर्ष के अन्दर तैयार होता है उसकी ऐसी अन्धाधुंध कटाई हुई है। अभी दो वर्ष पहले मैंने जीवन का खतरा मोल ले करके उस क्षेत्र का भ्रमण किया, 18 हजार से 20 हजार एकड़ जमीन में ऐसे साल वृक्ष के जंगलों की कटाई हुई है देखकर कर रुलाई आती है। दूसरा क्षेत्र है बेतिया का इलाका, वहां कभी ब्लैक पेंथर आंप्रेशन हो रहा है वहां के जंगलों की बरी तरह कटाई हो रही है। छानबीन करने के बाद पता चलता है केवल यह बिहार की स्थिति नहीं है बल्कि देश के अन्दर जहां-जहां भी उत्तम कोटि के जंगल थे उन जंगलों को आज बुरी तरह से कटाई होती जा रही है। अभी एक चित्र देखा, आम भारत के सर्वश्रेष्ठ फलों में से है। देश के इलाके दरभंगा, मधुबनी और पटना के इलाके में एक आम दिया का मालदा आम है उन पेड़ों के बगीचों को ऐसी बुरी तरह

से कटाई हो गई है केवल लकड़ी जलने के लिए नहीं वहां आज कल एक नयी फैक्ट्री शुरू हुई है सरकार से लाइसेंस ले कर के वह फैक्टरी चल रही है । आम के पेड़ों को काटा जाता है और उसकी छाल के टुकड़े टुकड़े बना कर उसमें गलाने के लिए डाला जाता है और फिर जैसे चमडा निकालते हैं उन आम की छालों से पैकिंग करने के लिए बहुत अच्छे बक्से बनाने के के लिए प्रयोग हो रहा है । लगता है कि दुर्दशा की राह पर हम ऐसे चल रहे हैं कि मानो कहीं अपने भविष्य के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं । अगर यहां पर हिम्मत के साथ इन प्रश्नों के ऊपर विचार नहीं किया, कहां कहां से किस किस रास्ते से देश का विनाश हो रहा है उसको रोका नहीं गया तो यह शस्मश्यामला भारत भूमि एक दिन ऐसी बंजर भूमि के रूप में बदल जाएगी कि संसार भर में उसका कोई दूसरा उदाहरण दिखायी नहीं पड़ेगा । मैंने शुरू में ही कहा कि मैं बिल का समर्थन कर रहा हूं विरोध नहीं कर रहा हूं । बीस सूत्री कार्यक्रम की चर्चा आ गई । आश्चर्य लगता है आज कल अन्त्योदय, एन०आर०ई०पी०, आई०आर० डी०पी० जितनी योजनाएं हैं वह सब बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत घुस गई हैं । मान्यवर, यहां सीताराम केसरी जी बैठे हैं । मैं समझता हूं एक राज्य से दूसरे राज्य के वातावरण में बहुत बड़ा अन्तर नहीं है । किसी जिले का दो साल का आंकड़ा उठा लीजिए । आंकड़ों में जितनी कार्य की सफलता दिखायी गई है रुपये का जितना व्यय दिखाया गया है स्थल पर जा कर के छानबीन करना शुरू करिए तो पता ही नही लगेगा कि जिले के अन्तर्गत बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम पर जितने काम रिकार्ड के ऊपर दिखाए गए । उसके विरूद्ध में जितनी राशि खर्च की गयी है वह काम कहा है, धरती के ऊपर खोजने के बाद कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा । मैं कहना चाहता हूं कि विभाग तो बना लेकिन सरकार कोई ऐसा कदम अवश्य उठाये कि गांवों के अंदर चारागाह रहे, खेलने के लिए जमीन रहे, इनकी बरबादी न हो । एक नया काम है पैसे का और खर्च का, लेकिन यह कितना परिणाम प्रकट करेगा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है । मैं सरकार से सीधी मांग करना चाहता हूं कि एक बार ईमानदारी का विश्वास का वातावरण देश में जगाए । एक आत्मविश्वास जगने दीजिए कि गरीब जनता से लिया हुआ पैसा विदेशों से लिया हुआ कर्ज, हिन्दुस्तान के निर्माण के लिए विकास के लिए खर्च होगा । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक एक कदम उठाइए । आज पूरा भारत प्रखंडों के अंदर विभाजित है, एक राज्य नहीं होगा जिसमें ब्लाक्स नहीं हैं प्रखंड बने हुए नहीं हैं । एक वर्ष के अंदर किसी भी माध्यम से प्रखंड के अंदर जो आप राशि खर्च करने जा रहे हैं उसकी एक लिस्ट तैयार करिए, काम कौन-कौन से करने जा रहे है उसकी एक लिस्ट तैयार करिए और सार्वजनिक रूप से उसका विज्ञापन निकालिए, हर प्रखंड कार्यालय के ऊपर बाहर यह लगा हुआ रहे कि इस प्रखंड के अंदर आगामी एक वर्ष के अंदर इतनी राशि खर्च होने जा रही है, यह यह काम होने जा रहे हैं और वर्ष पूरा होने के बाद फिर एक दूसरी लिस्ट निकालिए एक और विज्ञापन निकालिए कि इतना रुपया खर्च हुआ है, इतने काम हो गये । एक एक नागरिक को खर्च के हिसाब देखने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, काम कहां हुआ है यह देखने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए । यह केवल सरकारी दफ्तरों, सचिवालयों के अंदर— राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के— बड़े बड़े पोथी पोथों के अंदर बांधा हुआ नहीं रहे । इससे भारत का विकास नहीं होगा । इसके लिए सरकार विकास के कदम उठाये, ब्लाक स्तर पर कदम उठाये, जिला स्तर पर कदम उठाये और मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा 20 सूत्री समितियों का आचरण, उसकी रचना का अध्ययन कीजिए । क्या भारत की जनता गांव की जनता को कोई प्रशिक्षित कर रहा है कोई शिक्षित कर रहा है उसको

[श्री कैलाश पति मिश्र]

पता भी है कि कितनी राशि उसके नाम पर खर्च की जा रही है, कौन कौन से नाम पर खर्च की जा रही है। किसके लिए 38 वर्ष की आजादी लेकर खड़े हो गये ? गांव के अंदर तो आज भी दिखाई देता है कि भारत का आजाद नागरिक, भारत का वास्तविक मालिक आज नौकर बना हुआ है। 4–6 सौ प्राप्त करने वाले सरकार के छोटे से छोटे कर्मचारी लाट साहब बनकर गांव के नागरिको की छाती को रौंद रहे है। साहस नही है कि वह पूछ सके कि हमारा पैसा कहां खर्च हुआ, कौन कौन सा काम हुआ क्या उपयोगिता रही और हमसे जो टैक्स लिया जा रहा है या कर बढ़ाया जा रहा है तो किस बात के लिए बढ़ाया जा रहा है। जंगलों की कटाई लकड़ी की बरबादी बहुत बुरी तरह से होने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार भी कई बार कदम उठाती है। बजट अधिवेशन के पहले भी सदन के अंदर हम लोगों ने आलोचना की थी आपने अचानक पैट्रोलियम गुड्स की कीमतें बढ़ा दी, कैरोसीन तेल की कीमतें बढ़ा दीं, डीजल की कीमत बढ़ा दी, मालूम है इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसके कारण भी पेड़ों की कटाई तेजी से बढ़ गयी, जंगलों की कटाई तेजी से बढ़ गयी आप भारत को देख नहीं रहे हैं पहचान नहीं रहे हैं। बारबार पूज्य महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं लेकिन पूज्य महात्मा गांधी जी कौन से भारत की कल्पना करते थे? क्या पश्चिमी देशों के चंगुल में फंसा हुआ भारत या अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर रहने वाला भारत? अगर आत्मनिर्भर रहने वाले भारत की कल्पना करते हैं तो आजादी गांव से जगानी पड़ेगी नीचे से जगानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह विधेयक उसमें एक सहायक कदम होगा। तो इसको स्वीकार करना चाहिए लेकिन पूरी प्रक्रिया के ऊपर विचार करना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for having given me this opportunity to speak on this Private Member's Resolution moved by my esteemed colleague, Shri Suresh Pachouri.

The sum and substance of the Resolution is actually to give a boost to the 20-Point Programme in which there are afforestation and also development of the bio-gas and gobar gas technology in the rural areas. I would like to read the Resolution which has been moved by the hon. Member:

> "that a total area of 140 lakh hectares in our country is registered as pasture land in the revenue records while practically only forests are being used for grazing purposes; and"
>
> secondly "that as total demand for fire-wood comes to 1330 lakh tonnes as against the production of 490 lakh tonnes only;".

Therefore, my learned colleague also wants that the following measures may be taken for the purpose of increasing the pasture land and also to increase the fire-wood production. He pleads that the Government has to issue instructions to set up a special department for the management of this 140 lakh hectares of land and convert the barren land into green pastures. Secondly, he pleads that steps may be taken to increase the production of fire-wood and promote the use of new varieties of stoves, bio-gas and gobar gas on a priority basis.

In the 20-Point Programme which was envisaged by our late Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, after touring this entire country, we see that the afforestation programme was given more importance by her, apart from the agricultural production. Sir, when Pandit Nehru was in jail at the time of the freedom struggle, he wrote several letters to his daughter. She was a young girl. In those letters he emphasised the need for preserving the nature. He also wrote about the richness of the Ganga and

the Himalayas and the nature which has been given by God to our country. Also the rich lands and also the forests which have been catering to the needs of our population. That particular spirit which has been given in those letters were imbibed in the blood of Mrs. Gandhi and our late Prime Minister found that the rural population should be given more importance. Therefore, she brought in the 20-Point Programme.

Sir, this 140 lakh hectares of pasture land which my learned friend has mentioned, is equivalent to nearly one-sixth of the total land which is remaining in our country. Sir, nearly one-sixth of the land has been kept barren either by the side of sea-shore or by the side of the hills and kept barren by rivers and so on and so forth. On the other side, we see that a lot of forests which have been giving livelihood to the Adivasis and other people living in those areas, have been indiscriminately cut, illegally cut and carried away by miscreants. We find in Karnataka, in Kerala and in other parts of the country the forests have been cut and carried away, though there are several enactments to protect forests in our country. We find through the newspaper reports that lorry loads of fire-wood which are illegally cut have been detained and the Forests Officers have been shot dead. These are the things which we see everyday.

Since the forests are being cut, nature is also changing its course. See the Monsoon in Delhi for example. By this time it has not set in. The drought condition is prevailing in several parts of the country, especially in Rajasthan, Karnataka, parts of Gujarat and several other parts of the country. Now, drought is there in Tamil Nadu. It is there in our area also.

The forest land which had been used for the purpose of developing forests has been used as pasture land. In Gujarat we have seen cattle have been dying due to shortage of fodder. Lakhs of tonnes of fodder has been brought from Maharashtra and other parts of the country, the Central Government spending crores of rupees to save these livestocks. Even then they are not able to cope with the demand. Therefore, the resolution which has been moved to create more pasture land and to produce more pasture to get more fodder for the purpose of giving life to the livestock which is the backbone of the agriculturists in the rural areas is to be given importance.

In other parts of Western Europe and also in Australia the pasture land has been given more importance because livestocks have been giving more milk and that the live-stocks have been used for the purpose of developing the agriculture sector; but in our country we have completely neglected the pasture land. The need for it has arisen because of drought prevailing in several parts of the country. Therefore, the importance should be given for developing the pasture land so that the livestocks can be saved.

I would like to submit that the Central Government in the Seventh Plan found that the Wasteland Development Board is the utmost need of the hour. Therefore, the Government prepared an ambitious plan for bringing five million hectares of land for the purpose of developing the wasteland which has been lying unutilised for several years. A thrust has been given by our hon. Prime Minister. In several meetings and also in the National Development Council he said that if we want to protect the environment and if we want that there should be more production in our country, the wasteland development is the utmost need of the hour. I congratulate the hon. Minister in charge of Environment that the Chairman of the Wasteland Development Board has been appointed and that it is now moving fast for developing the wasteland, especially in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and other parts of the country. The Wasteland Development Board which has been set up should get the cooperation of the Irrigation Ministry also because the dryland farming is also to be given importance. Though the Government wants to develop forests wherever possible, dryland farming may

[Shri V. Narayanasamy]

also be adopted by the Government because we are deficient in oil production. The development of afforestation in various States by the Centre through the 20-point programme alone is not sufficient, because there should be cooperation from the State Governments too. We find that there is some sort of sluggishness on the part of some States towards the speedy development of this programme.

I would like to submit that in some States when the monsoon season has not set in they undertake some ambitious programme of tree plantation. Then within two or three months these plants perish because of non-availability of sufficient water. Then the whole scheme is completely spoiled. Of course, in some States we see that the planting is done during the monsoon season but without proper monitoring. Therefore, I would request the hon. Minister, who has been touring the whole country, to see that the development of afforestation programme is implemented. In this connection necessary instructions should be issued to the State Governments especially in the social forest scheme and also in the forest areas. This can be done during the monsoon period, because the water problem will not be there during that season. I have also seen that the Government has gone in for an ambitious programme of seedling the forest areas, and hilly areas during the monsoon period. But in some hilly areas we found that the trees have not grown. Those hilly areas are lying still barren. In these areas seedling by the manual labour is not possible. Therefore, the Government has decided to go in for seedling through helicopters so that afforestation programme can be developed.

Sir, we can find in the rural areas nearly 75 per cent of the population use firewood for cooking purpose. It is also sold in urban areas. Therefore, I would like to submit to this august House that proper education may be imparted to the agriculturists about the use of firewood trees in the bund land in which they are regularly cultivating, because trees does not require more energy or water. Our agriculturists can raise plants in the bund areas easily and they need not put any fertilisers. They can just put seeds and the plants grow automatically.

Sir, solar energy is another source of energy which is now being developed. It can be used for the purpose of cooking, lighting, irrigation, agricultural machines and other allied purposes. Under the solar energy scheme it can be utilised fully whereas in other fields it is partially useful. Some of these have a direct utilisation for the purposes which I have mentioned earlier and some others in the indirect form. Solar energy can be used for other purposes. It can be used directly for cooking. It has been used in developed countries on few models. However, two important points arise in this respect. Development of solar cooker suitable for use in rural areas of the States will need study of the cooking process, cooking oven that is chullahs and the eating habits of the local population. Secondly, there should be a drive to educate villagers in use of the solar cookers making them realise the advantage and the economy involved in that when compared with the traditional one which they are using. Then we will have to attract the educated population in the villages in accepting this set of example and encouraging the local craftsmen and technicians to fabricate this kind of solar cooking projects. Another use of solar energy is for heating water which can be used for cooking, bathing or even in some cases for washing clothes. The indirect use is through production of bio-gas. Sir, I would like to say that solar energy, would, to a certain extent, save energy, power which we have been getting through other sources and this will develop the environmental thing in a better sense. Sir, the bio-gas plants have been set up in various States with the help of Central Government. The bio-gas plants can be used well in rural areas as compared to urban areas. In the rural areas, raw material is easily available and the villagers who are depending upon cows and bullocks

for their livelihood, they can keep the bio-gas plants in their areas and it can be better utilised when compared with the firewood which they hardly get in the rural areas. In Andhra Pradesh, for 1985-86, the total target was 20,000 plants. From April, 1985 to December, 1985, the target fixed was 9600 plants and the target achieved was 6811 plants. In Assam, the annual target was 1,000 plants. The target earmarked for a period of nine months was 480 and the target achieved was 39. This shows the poor performance. In Bihar, the annual target was 6400 plants. The target earmarked for nine months was 3072 and the target achieved was 1250. In Gujarat, 4800 plants have been earmarked. 2304 earmarked for nine months and the target achieved was 4,468. In Gujarat, they have gone beyond the limit and they have set up more plants as compared to the target that has been fixed. Then in Haryana, 2,220 was the annual target and the target earmarked for nine months was 1056. And they have achieved 560. In Jammu and Kashmir, the total target was 120. The target earmarked for nine months is 57 and the achievement is 6.

For Karnataka, 7,000 is the total target. The target for nine months is 3,360, and the achievement is 3,571.

For Kerala, the total target is 2,400. The target for nine months is 1,152 and the achievement is 1,145.

For Maharashtra 35,100 is the total target. The target for nine months is 16,848. And the achievement during the period is 19,753.

In the case of Madhya Pradesh, 3,000 is the total target. The target for nine months is 1,440 and 878 is the achievement.

For Orissa, the total target is 2,500. The target for nine months is 1,200 and the achievement is 1,989.

In the case of Punjab, the total target is 1,600. The target for nine months is 768 and the achievement is 802.

For Rajasthan 5,000 is the total target and 2,400 is the target for nine months. The achievement is 3,202.

For Tamil Nadu, 13,000 is the total target. The target for nine months is 6,240 and the achievement is 11,900. It is actually nearing the total target within a period of nine months.

In U.P. 20,000 is the total target. The target for nine months is 9,600 and 11,249 is the achievement.

In West Bengal, 2,800 is the total target. The target for nine months is 1,344 and the achievement is 559.

Sir, now on the one hand, we are developing in science and technology and on the other, we have to protect the environment and nature, which is very material for the purpose of keeping the safety of our people's lives. Air pollution, water pollution and pollution from other sources are emanating because of industrial development. Therefore, a special thrust has been given for the purpose of protecting the environment. It was started by our leader Smt. Indira Gandhi and now it is being continued by our hon. Prime Minister. Environment protection has to be given much importance. Therefore, I would like to state that tree plantation programmes should be undertaken in the rural and urban areas. If we go to metropolitan cities like Bombay, Calcutta and Madras, we do not find even a single tree, which will keep the environment intact. I would like to say that the cutting of trees in the urban areas and developing of townships indiscriminately is creating havoc and the entire environment is being completely ignored. Therefore the master plan in the urban areas has to be strictly enforced. Thus the protection of the environment can be ensured. I would also like to say that the protection of the environment has been given much importance in the 20-point programme. I would urge the hon. Minister to visit the rural areas

[Shri V. Narayanasamy]

of the States which have been saying that these programmes are being implemented. Because the Central Government is giving them the funds, it is directing them to execute the works. But the State Governments which are the implementing agencies, have been saying that all the programmes of the 20-point programme including the environmental protection scheme have been implemented by them and they have been trying to take credit for that, especially the Opposition-ruled States. Therefore, the honourable Minister should visit the rural areas and see for himself whether this programme of afforestation and social forestry is being implemented in right earnest. Then only will we be able to protect our future generations, especially when we are entering the 21st century and set to ourselves glorious targets to achieve.

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और काश्मीर) : जनाब वायस चेयरमैन साहब, मैं उर्दू में बोलना चाहूंगा ।

सुरेश पचौरी जी ने एक सादा सा रेजोलूशन हमारे सामने पेश किया है । रेजोलूशन के लफ्ज ये हैं :

"140 लाख हेक्टेयर जमीन हमने चरागाहों के लिए मुकर्रर की थी और इसके अलावा जो हमारी लकड़ी जलाने की जरूरियात है वह 1330 लाख टन हैं जब कि हमें 490 लाख टन मिल रहा है तो यह हाउस सिफारिश करता है कि स्टेट गवनमेंट को कहा जाए कि ये जो 140 लाख हेक्टेयर चरागाहों के लिए मुकर्रर की गई थी उसको वह जमीन बाकी जमीन में या जंगल में तबदील करने से बचाया जाए और जो लकड़ी की जरूरियात हैं उनको भी पूरा किया जाए और उसके साथ स्टोव, बॉयो गस और गोबर गैस का भी इंतजाम किया जाए ।

एक सीधा सा रेजोलूशन है । मझे उम्मीद है कि जनाब मिनिस्टर साहब को यह रेजोलूशन कबूल करने में कोई देरी नहीं होगी । रेजोलूशन का मुद्दा यह है कि हमने जो 140 लाख हेक्टेयर जमीन चरागाहों के लिए मुकर्रर की थी वह जमीन अब खत्म हो रही है, खत्म की जा रही है और जमीदारों को चरागाहों के लिए जंगल मे जाना पड़ता है और जंगल में जो हमारे पेड़ वगैरह हैं वे खराब हो रहे है । मैं यह समझता हूं कि मिनिस्टर साहब को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस रेजोलूशन को पास करने में, रेजोलूशन कबूल करने में । आखिर करना क्या है ? मैंने यह देखा है कि इस रेजोलूशन को कबूल करने के बाद हुकमत कर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि श्री जैड आर अंसारी साहब को 22 चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी चीफ मिनिस्टर के नाम कि हुजूर, 140 लाख हेक्टेयर जमीन जो चरागाहों के लिए मुकर्रर की गयी थी आपकी स्टेट में इतनी जमीन जंगल में तबदील की गयी है उसको जैसे हो ठीक करें । यह चीज ऐसी नहीं है जिस को कोई हुकूमत जिम्मेदारी के साथ निभा न सके । मैं यह समझता हूं मुझे चार साल हो गये है इस हाउस में आए हुए । आज तक कोई ऐसा रेजोलूशन जो हमने पेश किया हो या सरकारी दल की तरफ से पेश किया गया हो उसे कबूल किया गया हो । यह हो सकता है कि ऐसे रेजूलूशन हों जिनको कबूल करने के लिए कोई बिल लाना पड़ा, कोई और चीज करनी पड़ी मगर अब तो खाली एक चिट्ठी लिखनी है अन्सारी साहब को । मै समझता हूं यह उनको करना चाहिए ।

हजूर, यह एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ हम सब को ध्यान देने की जरूरत है । मैं कंसलटेटिव कमेटी ऑन प्लानिंग का एक मेम्बर हूं । हमारी पिछली मीटिंग में सिर्फ इसी मसले पर बहस हुई है और जनाब वजीरे आजम ने हमारे साथ करीब तीन-साढ़ तीन घंटे बहस

की। मैं अपने कश्मीर के मुतल्लिक अर्ज करूं कि हर एक गांव के साथ एक ऐसी जमीन हुआ करती है जो गांवों में रहने वालों की भेड़-बकरियां है या गायें वगैरह होती हैं और जो जमीन का टुकड़ा नहर के किनारे होता था वहां पर भेड़-बकरियां चरागाह के तौर पर जाकर उसमें अपनी खुराक खा लेते थे। मगर वक्त के बढ़ते बढ़ते अनअथोराइज्ड तरीके से उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया और गांव वालों के लिए जमाबंदी में, अंग्रेजों के वक्त से और महाराज के वक्त से यह जमीन चरागाह के लिए मुकर्रर की गई थी उस जमीन के टुकड़े सालीमात में आगे न बढ़कर उसमें खेती होने लगी और इस तरह से यह सब जमीन खत्म हो गई। उस पर कब्जा कर लिया गया। गांव वालों को उस जमीन की जरूरत भेड़-बकरियों के लिए थी। अब वे जंगल में चले जाते है। जंगल मे वे हरेभरे दरखतों के पत्ते खाते हैं। इससे जंगलों पर बोझ बढ़ता चला गया इसको भी कम करने की जरूरत है। इसलिए रियासती सरकारों को जमाबंदी के मुताबिक जो जायज जमीन है और जिस पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया गया है या खराब कर दिया गया है या सड़क तौर पर इस्तेमाल किया गया है, उसको दूर करना चाहिए और चरागाहो के लिए देना चाहिए। इससे भेड़ बकरियों के लिए चरागाह मिल सकते हैं और जंगलो पर बोझ भी कम हो सकता है।

दूसरी बात उस मीटिंग मे यह उभरी जिसका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं कि जैसा पचौरी साहब ने भी कहा कि 1330 लाख टन लकड़ी की हमको जलाने के लिए जरूरत है और जलाने को जो लकड़ी हमको मिलती है वह 490 लाख टन है। यह जो बकाया है यह करीब 9 सौ लाख टन का है। इसको किस तरह से पूरा किया जाए ? मेरे पास जो इन्फारमेशन है उसके मुताबिक जंगलों के पास जो गांव हैं वहां पर औरतें और मर्द सुबह जंगल में चले जाते हैं और कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर अपने कंधों पर ले आते हैं। इस तरह से उनको लकड़ी मिल जाती है, लेकिन जंगल खराब हो जाते हैं। मुझे एक वाकया याद आया। मैंने इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी किया था। श्रीनगर शहर से 20 मील की दूरी पर सिन्धु दरिया पर एक गांव है वहां पर मेरी भी एक हट है। मैं कभी कभी वहां जाया करता हूं। वहां पर मेरे एक बुजुर्ग आदमी भी गये हुए थे। वे 80 साल के बुजुर्ग थे। जब वे बरामदे पर बैठते थे तो सामने देखते रहते थे। उन्होंने देखा कि औरतें और मर्द जंगल में चले जाते हैं। वे सुबह 7 बजे की तस्वीरों को गिनते रहे। 7 बजे से 10 बजे तक उन्होंने 478 आदमियों को देखा कि वे चले गये। जंगल से 478 आदमी लकड़ी का बोझ उठाकर लकड़ी ले गये। यह एक हकीकत है जिसको सामने से देखा गया। इसको हमें आज फेस करना है। जैसा श्री सत्यनारायण रेड्डी जी ने सही फरमाया कि गांवों के लोग बायोगैस और स्टोव का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने एक सोशियल फोरेस्ट्री स्कीम चलाई है। मैं समझता कि उसका जिक्र मिनिस्टर साहब अपने जवाब में करेंगे। सोशियल फोरेस्ट्री की स्कीम कई रियासतो में कामयाब रही है और मुझे इस बात का फखर हैं कि काश्मीर में यह स्कीम कामयाब हुई है। उस मीटिंग में भी कहा गया कि यह स्कीम वहां पर कामयाब हुई हैं। मगर मेरी समझ में नहीं आता है कि खाली सोशियल फोरेस्ट्री से हम फायर वुड या जलाने की लकड़ी का मसला पूरा नहीं कर सकते हैं। हमने यह तहिया कर लिया है और यह एक हकीकत है कि गांवों के लोगों को जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत हैं। लकड़ी के लिये उनको दरख्त काटना है। हमें तहेया करना है, कोमी सतह पर तहैया करना है, उसको इम्प्लीमेन्ट करना हैं। अगर एक दरख्त कट जाये या खराब हो जाये तो उसके बदले हम

[श्री गुलाम रसूल मट्टू]

तीन दरख्त उगायें, अफारेस्टेशन जिसको कहते हैं। इसके लिये एक टारगेट हमको मुकर्रर करना है और वह टारगैट जो मैं समझ सका हूं वह है एक के बजाय तीन। यह मैं इसलिये कहता हूं कि और मैं अपनी रियासत का जिक्र करना चाहता हूं हमारे यहां फर होती हैं, कैसीफर किस्म के दरख्त कालू, बुजलू, देवदार इनको बनने में 60-70 साल लग जाते हैं। तो इससे अगर एक दरख्त की कैजुवलटी होती है तो कम से कम इनमें एक दरख्त जरूर लगेगा जिसका आने वाली नसलें फायदा उठायेगी और कौमी सतह पर रहमान साहब को यही करना है। हर रियायत में सोशल फारेस्ट्री है, बायो गैस के लिये अच्छा काम हो रहा है मगर इस हकीकत को समझने के साथ साथ हमको यह भी देखना है कि जो अफारेस्ट्रेशन है वह बहुत जरूरी काम है और इसके सिलसिले में हमें यह करना है, हमको दरख्त लगाने हैं और इसके लिये एक टारगेट बनाना है। अगर यह नजर में आया कि एक दरख्त गिर रहा है तो उसके बदले हम तीन दरख्त उगायें। इसके सिलसिले में हमको क्या करना है यह हमें सोचना है। इस बारे में हमारी कंसलटेटिव कमेटी में बहुत बहस हुई और आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह काम खाली गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है गवर्नमेंट को अपना काम करना है मगर एक तहरीकी तौर पर गांव के लेवल पर भी लोगों को इसमें इनवाल्व करना है जैसा कि हमने सोशल फारेस्ट्री में गांव वालों को इन्वाल्व किया है। हम उनको उनके द्वारा उगाये दरख्तों को मुफ्त देना चाहिए ताकि वे उनको उगायें। जहां कहीं भी हमारी सरकारी जमीन है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को यह मुकर्रर करना है कि गांव के रहने वाले जो लोग हैं वे इस सरकारी जमीन पर दरख्त लगायें और जो जो दरख्त जिस जिस आदमी ने उगाया है वह उसकी मिल्कियत होगी और वह उसका मालिक बन जायेगा। इस तरह से हमको करना है। दूसरी चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वह यह है कि स्कूलों के लड़के, पाचवीं जमात से सेकन्डरी स्कूल तक को भी इसमें इन्वाल्व करना होगा यह हमें इस तरह से करना चाहिए कि एक स्कूल की तय जमीन बने और हर लड़के को यह कहें कि तुम्हें अपना दरख्त उगाना होगा और उसके साथ उसका टैग लगाया जाये ताकि वह समझे कि यह मेरा दरख्त है और बाद में जब वह वहां जाये तो वे देखे कि उसका टैग कायम है। इस तरह से उनको भी इसमें इन्वाल्व होना चाहिए। इसमें हमको तमाम लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को इन्वाल्व करना चाहिए। इस इन्वाल्वमेंट के लिये हमको काम करना है। मैं श्री रहमान साहब से अर्ज करूंगा कि उन्हें बहुत काम करना है। यह एक ऐसा मसला है जिसका अंदाजा आने वाली नस्लें ही कर सकेंगी और मैं समझता हूं कि वे हमें माफ नहीं करेंगे अगर हमने इस ओर अच्छे कदम नहीं उठाये। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया सोशल फारेस्ट्री आपकी कामयाब हो, ईशाअल्ला यह कामयाब होगी लेकिन सोशल फारेस्ट्री का मकसद लिमिटेड है वह केवल जल्दी उगने वाले दरख्तों से है लेकिन जो बड़े दरख्त 20 साल, 30 साल 40 साल में होते हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। रहमान साहब को यह करना चाहिए कि वे हर स्टेट में खुद जायें और हर स्टेट की जरूरत को समझने की कोशिश करें। हर स्टेट के इन्वाल्वमेंट के तरीके अपने अपने हैं। इसलिये उन्हें हर स्टेट में जाकर वह लोगों को कैसे इन मूवमेंट में इन्वाल्व कर सकते हैं, कैसे वह वहां के लोगों को इस मूवमेंट में ताऊन हासिल कर सकते हैं वह इसको खुद उन जगहों पर जाकर देख सकते हैं। तभी जाकर यह मसला हल होगा। एक बार मैंने यहां तक भी कह दिया था वहां मीटिंग में प्राइम-मिनिस्टर ने कबूल किया था मेरी तजवीज को कि हर रियासत में जैसे वेस्टलैंड बोर्ड बनाए हैं इसी तरह हर स्टेट बोर्ड के अफोरे-

स्टेशन डवलपमेंट बोर्ड का खुद इस्तदा करें और वे अगर खुद इस्तदा करते हैं तो उसकी अहमियत का अन्दाजा स्टेट गवर्नमेंट को हो जाता है और वो समझने लगते हैं कि जब मुल्क का वज़ीरे-आज़म इस मामले में दिलचस्पी लेता है तो वहां का जंगलात का जो वज़ीर है उसका भी इस में इनवाल्वमेंट होना चाहिए तो अंसारी साहब से मैं यह अर्ज़ करूंगा कि हर स्टेट में अफोरेस्टेशन बोर्ड बनाएं और उन के लिए यहा से मोनिटेरिंग भी करें कि कैसे काम हो रहा है, क्या काम वो कर रहे है। इस तरीके से यह मसला हल हो सकता है और इस तरीके से पचौरी साहब का जो रिज़ोल्यूशन है मैं सिर्फ यह दरख्वास्त करूंगा अंसारी साहब से कि यह एक ऐसा रिज़ोल्यूशन पचौरी साहब ने पेश किया है उस में न तो कोई बिल की जरूरत है न कोई लेजिस्लेशन की जरूरत है। इसको उनको जरूर कबूल करना चाहिए। इसको कबूल करने से सिर्फ एक जिम्मेदारी आयद होती है कि रियासत की सरकारों को लिखेंगे ताकि हम भी यह समझें यह अर्नेस्ट हैं और जो ममला पचौरी साहब ने उठाया है उसको वह समझते हैं। इस मसले की अहमियत को मद्दे नज़र रखते हुए इस रिज़ोल्यूशन को उनको तस्लीम करना चाहिए ताकि यह न हो कि यह जुम्मे का दिन जो प्राइवेट मेम्बर्स का मुकर्रर करते हैं वह निश्स्तंदो-गुफ्तंदो-बर्खास्तंदो, फारसी की एक मिसाल है आए, बैठे बातें की, ऐसा नहो होना चाहिए। इस सेशन में एक जुम्मा कम से कम ऐसा आ जाए कि रिज़ोल्यूशन सरकारी तौर पर तस्लीम किया जाए जिसमे सरकार को कोई ऐसी आपत्ति नहीं है या कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कबूल करने में न कोई बिल की जरूरत है, न कोई रुपये की जरूरत है, न कोई फाइनेंशियल इम्पलीकेशन है, न कोई लेजिस्लेटिव इम्पलीकेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ यह है कि इस रिज़ोल्यूशन के पास करने से सरकार के मुसबत इरादे का इज़हार हो जाएगा और इज़हार गूंजेगा उन तमाम 22 रियासतों और यूनियन टेरीटेरीज़ में जहां के लोग इस चीज़ को समझेंगे। आइंदा नस्ले हमें कभी माफ नहीं करेंगी, हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं अगर हमने इस सिलसिले में अर्नेस्टली काम नहीं किया। मैं इन अल्फाज़ के साथ पचौरी साहब के रिज़ोल्यूशन की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस रिज़ोल्यूशन को कबूल करेगी और इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वह इस सिलसिले में हाउस को इत्तेला करेंगे कि बगैर किसी हीलहुज्जत के इस रिज़ोल्यूशन को वो कबूल करते है। पचौरी साहब के इस रिज़ोल्यूशन को कबूल करने के साथ इस सेशन में कम से कम यह होगा कि यह पहला रिज़ोल्यूशन है जो आज मंजूर किया गया है। शुक्रिया।

†[شری غلام رسول مگو (جموں اور کشمیر) : جناب ڈپٹی چیرمین صاحب - میں اردو میں بولنا چاہونگا -

سریش پچوری جی نے ایک سادہ سا ریزولوشن ہمارے سامنے پیش کیا ہے - ریزولوشن کے الفاظ یہ ہیں -

"۱۳۰ لاکھ ہکٹیر" زمین ہم نے چراگاہوں کے لئے مقرر کی تھی - اور اس کے علاوہ جو ہماری لکڑی جلانے کی ضروریات ہیں - وہ ۱۳۳ لاکھ ٹن ہیں - جبکہ ہمیں ۴۹۰ لاکھ ٹن مل رہا ہے - تو یہ ہاؤس سفارش کرتا ہے - کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو کہا جائے - کہ

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[شری غلام رسول مٹو]

یہ جو ۱۴۰ لاکھ ہیکٹیر زمین چراگاہوں کے لئے مقرر کی گئی تھی اسکو وہ زمین باقی زمین میں یا جنگل میں تبدیل کرنے سے بچایا جائے اور جو لکڑی کی ضروریات ہیں۔ ان کو بھی پورا کیا جائے۔ اس کے ساتھ اسٹوؤبایو گیس اور گوبر گیس کا بھی انتظام کیا جائے۔

ایک سیدھا سا ریزولوشن ہے۔ مجھے امید ہے کہ جناب منسٹر صاحب کو یہ ریزولوشن قبول کرنے میں کوئی دیری نہیں ہوگی۔ ریزولوشن کا مدعا یہ ہے کہ ہم نے جو ۱۴۰ لاکھ ہیکٹیر زمین چراگاہوں کے لئے مقرر کی تھی۔ وہ زمین اب ختم ہورہی ہے۔ ختم کی جارہی ہے۔ اور زمینداروں کو چراگاہوں کے لئے جنگل میں جانا پڑتا ہے۔ اور جنگل میں جو ہمارے پیڑ وغیرہ ہیں۔ وہ خراب ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب کو کوئی دقت نہیں آنی چاہئے۔ اس ریزولوشن کو پاس کرنے میں۔ ریزولوشن قبول کرنے میں۔ آخر کیا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس ریزولوشن کو قبول کرانے کے بعد حکومت پر کیا ذمہداری عاید ہوتی ہے کہ شری زیڈ۔ آر۔ انصاری صاحب کو ۲۲ چٹھیاں لکھنی پڑینگی۔ چیف منسٹر صاحب کے نام کہ حضور ۱۴۰ لاکھ ہیکٹیر زمین جو چراگاہوں کے لئے مقرر کی گئی تھی۔ آپ کی سٹیٹ میں۔ اتنی زمین جنگل میں تبدیل ہوگئی ہے اس کو جیسے ہو ٹھیک کریں یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ کہ جس کو کوئی حکومت ذمہداری کے ساتھ نباہ نہ سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے چار سال ہوگئے ہیں۔ اس ہاؤس میں آئے ہوئے۔ آج تک کوئی ریزولوشن جو ہم نے پیش کیا ہو یا سرکاری دل کی طرف سے پیش کیا گیا ہو اسے قبول کیا گیا ہو۔ یہ ہوسکتا ہے کہ ایسے ریزولوشن ہوں۔ جنکو قبول کرنے کے لئے کوئی بل لانا پڑا۔ کوئی اور چیز کرنی پڑی۔ مگر اب تو خالی ایک چٹھی لکھنی ہے۔ انصاری صاحب کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ انکو کرنا چاہئے۔

حضور۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف ہم سب کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں کنسلٹیٹیو کمیٹی آن پلاننگ کا ایک ممبر ہوں۔ ہماری پچھلی میٹنگ میں صرف اسی مسئلہ پر بحث ہوئی ہے اور جناب وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ تین ساڑھے تین گھنٹے تک بحث کی۔ میں اپنے کشمیر کے متعلق عرض کرونگا۔ کہ ہر ایک گاؤں کے ساتھ ایک ایسی زمین ہوا کرتی ہے۔ جو گاؤں میں

رکھنے والوں کی بھیڑ - بکریاں ہیں یا گاؤں وغیرہ ہوتی ہیں - اور جو زمین کا ٹکڑا نہر کے کنارے ہوتا تھا وہاں پر بھیڑ بکریاں چراگاہ کے طور پر جاکر اپنی خوراک کھاتے تھے - مگر وقت کے بڑھتے بڑھتے ان-اتھورائزڈ طریقہ سے اس زمین پر قبضہ کرلیا گیا - اور گاؤں والوں کے لئے انگریزوں کے وقت سے اور مہاراج کے وقت سے یہ زمین چراگاہ کے لئے مقرر کی گئی تھی - اس زمین کے ٹکڑے سالمیت سے آگے نہ بڑھکر اس میں کوٹیاں ہونے لگی اور اس طرح سے سب زمین ختم ہوگئی - اس پر قبضہ کرلیا گیا - گاؤں والوں کو اس زمین کی ضرورت بھیڑ بکریوں کے لئے تھی - اب وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں - جنگل میں وہ ہرے بھرے درختوں کے پتے کھاتے ہیں - اس سے جنگلوں پر بوجھ پڑتا چلا جارہا ہے - اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے - اس لئے ریاستی سرکاروں کو جمع بندی کے مطابق جو بندی زمین ہے اور جس پر ناجائز قبضہ کرلیا گیا ہے - یا خراب کردیا گیا ہے - یا سوک کے طور پر استعمال کیا گیا ہے - اس کو دور کرنا چاہئیے - اور چراگاہوں کے لئے دینا چاہئیے - اس سے بھیڑ بکریوں کے لئے چراگاہ مل سکتے ہیں - اور جنگلوں پر بوجھ بھی کم ہوسکتا ہے -

دوسری بات اس میٹنگ میں یہ ابھری جسکا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں - کہ جیسا پچوری صاحب نے بھی کہا کہ ۱۳۳۰ لاکھ ٹن لکڑی کی ہم کو جلانے کے لئے ضرورت ہے اور جلانے کی جو لکڑی ہم کو ملاتی ہے - وہ ۴۹۰ لاکھ ٹن ہے - یہ جو بتایا ہے یہ قریب نو سو لاکھ ٹن کا ہے - اس کو کس طرح پورا کیا جائیگا - میرے پاس جو انفورمیشنس ہیں اس کے مطابق جنگلوں کے پاس جو گاؤں ہیں - وہاں پر عورتیں اور مرد صبح جنگل میں چلے جاتے ہیں - اور کلہاڑی سے لکڑی کاٹ کر اپنے کندھوں پر لے آتے ہیں - اس طرح سے انکو لکڑی مل جاتی ہے - لیکن جنگل خراب ہوجاتے ہیں -

مجھے ایک واقعہ یاد آیا میں نے اس کا ذکر پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی کیا تھا - شری نگر شہر سے ۲۰ میل کی دوری پر سندھو دریا پر ایک گاؤں ہے وہاں پر میری بھی ایک ہٹ ہے - میں کبھی کبھی وہاں جایا کرتا ہوں - وہاں پر میرے ایک بزرگ آدمی بھی گئے ہوئے تھے - وہ ۸۰ سال کے بزرگ تھے - جب وہ برآمدہ میں بیٹھتے تھے تو سامنے دیکھتے رہتے تھے -

[شری غلام رسول متو]

انہوں نے دیکھا کہ عورتیں اور مرد جنگل میں چلے جاتے ہیں - وہ صبح ۷ بجے سے گنتے رہے - صبح سات بجے سے دس بجے تک انہوں نے ۳۷۸ آدمیوں کو دیکھا وہ چلے گئے - جنگل سے ۳۷۸ آدمی لکڑی کا بوجھ اٹھاکر لے گئے - یہ ایک حقیقت ہے - جسکو سامنے سے دیکھا گیا ہے - اس کو ہمیں آج فیس کرنا ہے - جیسا شری ستیا نارائن ریڈی جی نے - صحیح فرمایا کہ گاؤں کے لوگ ، بایو گیس اور اسٹوو کا استعمال کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں - ہم نے ایک سوشیل فوریسٹری اسکیم چلائی ہے - میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر منسٹر صاحب اپنے جواب میں کرینگے - سوشیل فوریسٹری کی اسکیم ریاستوں میں کامیاب رہی - اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ کشمیر میں یہ اسکیم کامیاب ہوئی ہے - اس میٹنگ میں بھی کہا گیا - کہ ایک اسکیم وہاں کامیاب ہوئی ہے - مگر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ خالی سوشیل فوریسٹری سے ہم فائر ووڈ یا جلانے کی لکڑی کا مسئلہ پورا نہیں کرسکتے ہیں - ہم نے تہیہ کرلیا ہے - اور یہ ایک حقیقت ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو جلانے کے لئے لکڑی کی ضرورت ہے - لکڑی کے لئے ان کو درخت کاٹنا ہے - ہمیں تہیہ کرنا ہے - قومی سطح پر تہیہ کرنا ہے - اس کو امپلیمینٹ کرنا ہے - اگر ایک درخت کٹ جائے یا خراب ہوجائے - تو اسکے بدلے میں ہم تین درخت لگائیں - افارے اسٹیشن جس کو کہتے ہیں - اس کے لئے ہم ایک ٹارگیٹ ہم کو مقرر کرنا ہے - اور وہ ٹارگیٹ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ ہے ایک بجائے تین - یہ میں اس لئے کہتا ہوں - اور اپنی ریاست کا ذکر کرنا چاہتا ہوں - ہمارے یہاں فر ہوتی ہے - کیسیفر قسم کے درخت "دکالو - بیخلو" دیودار ان کو پلنے میں ۶۰ - ۷۰ سال لگ جاتے ہیں - تو اگر ایک درخت کی کٹوائی ہوتی ہے تو کم سے کم ان میں ایک درخت ضرور لگے گا - جس کا آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائینگی - اور قومی سطح پر رحمان صاحب کو یہی کرنا ہے - ہر ریاست میں سوشل فوریسٹری ہے - بایو گیس کے لئے اچھا کام ہورہا ہے - مگر اس حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ - ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے - کہ جو افارے اسٹیشن ہے وہ بہت ضروری کام ہے - اور اس کے سلسلہ میں ہمیں یہ کرنا ہے - ہم کو درخت لگانے ہیں اور اس کے لئے ایک ٹارگیٹ بنانا ہے - اگر یہ نظر میں آیا کہ درخت کٹ رہا ہے - تو اس کے بدلہ

درخت اگانا ہوگا اور اس کا ساتھ
اسکا ٹیگ لگایا جائے- تاکہ وہ سمجھے
کہ یہ میرا درخت ہے اور بعد میں
جب وہ وہاں جائے تو وہ دیکھیں کہ
اس کا ٹیگ قائم ہے- اس طرح سے
ان کو بھی اس میں ان والو ہونا
چاہئے- اس میں ہم کو تمام لوگوں
کو - بچوں کو - ان والو کرنا چاہئے-
اس ان والومنٹ کے لئے- ہم کو کام
کرنا ہے- میں شری رحمان صاحب
سے عرض کرونگا - کہ انہیں بہت کام
کرنا ہے- یہ ایسا مسئلہ ہے- جس
کا اندازہ آنے والی نسلیں ہی کرسکیں
گی - اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ
ہمیں معاف نہیں کرینگی - اگر ہم
نے اس بارے میں اچھے قدم نہیں
اٹھائے- جیسا کہ میں نے آپ سے
عرض کیا کہ سوشل فاریسٹری اس
کی کامیاب ہو - انشاءاللہ وہ کامیاب
ہوگی - لیکن سوشل فاریسٹری کا
مقصد لیمیٹڈ ہے- وہ صرف جلدی
اگنے والے درختوں سے ہے- لیکن جو
بڑے درخت ۲۰-۲۰ یا ۴۰ سال
میں ہوتے ہیں - ان کی طرف بھی
دھیان دینا چاہئے- رحمان صاحب
کو یہ کرنا چاہئے کہ وہ ہر اسٹیٹ
میں خود جائیں - اور ہر اسٹیٹ
کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش
کر - ہر اسٹیٹ کے انوالوومینٹ کے
طریقہ اپنے- اپنے ہیں - اسلئے ہر اسٹیٹ
میں جاکر وہاں کے لوگوں کو کہنے
ہم تین درخت اگائیں - اس کے
سلسلہ میں ہم کو کیا کرنا ہے یہ
سوچنا ہے- اس بارے میں ہماری
کنسلٹی ٹیٹیو کمیٹی میں بھی
بحث ہوئی ہے- اور آخر میں ہم
اس نتیجہ پر پہونچے ہیں - کہ یہ
کام خالی گورنمنٹ کا نہیں ہے- ٹھیک
ہے گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا ہے- مگر
ایک تحریکی طور پر گاؤں کے لیول
پر بھی لوگوں کو اس میں ان والوو
کرنا ہے- جیسا کہ ہم نے سوشل
فوریسٹری میں گاؤں والوں کو
ان والوو کیا ہے- ہمیں ان کو ان کے
ذریعہ اگائے درختوں کو مفت دینا
چاہئے- تاکہ وہ ان کو اگائیں - جہاں
کہیں بھی ہماری سرکاری زمین ہے
ہماری اسٹیٹ گورنمنٹس کو یہ مقرر
کرنا ہے- کہ گاؤں کے رہنے والے جو
لوگ ہیں وہ اس سرکاری زمین پر
درخت لگائیں اور جو - جو درخت
جس - جس آدمی نے لگایا ہے وہ
اس کی ملکیت ہوگی - اور اسکا
مالک بن جائے گا - اس طرح سے ہم
کو کرنا ہے- دوسری چیز جس کا
میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اسکولوں کے لڑکے- پانچویں جماعت
سے سیکنڈری اسکول تک کو بھی اس
میں ان والوو کرنا ہوگا - یہ ہمیں
اس طرح سے کرنا چاہئے کہ ایک
اسکول کو ملے زمین ملے اور ہر لڑکے
کو یہ کہیں کہ تمہیں پامایدا

[شری غلام رسول مٹو]

اس موومینٹ میں انوالو کر سکتا سکتے ہیں - کیسے وہ وہاں کے لوگوں کا اس مووومینٹ میں تعاون حاصل کر سکتے ہیں - وہ اسکو خود ان جگہوں پر جاکر دیکھ سکتے ہیں - تبھی جاکر یہ مسئلہ حل ہوگا ایک بار میں نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا - وہاں میٹنگ میں پرائم منسٹر نے قبول کیا تھا - میری تجویز کو کہ ہر ریاست میں جیسے ویسٹ لینڈ بورڈ بنائے ہیں اسی طرح اسٹیٹ افارے اسٹیشن ڈیولپمنٹ بورڈ بنانے چاہئے - میں نے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہر اسٹیٹ بورڈ کے افارے اسٹیشن ڈیولپمنٹ بورڈ کا خود افتتاح کریں - اور وہ اگر خود افتتاح کرتے ہیں - تو اسکی اہمیت کا اندازہ اسٹیٹ گورنر کو ہو جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں - کہ جب ملک کا وزیراعظم اس معاملے میں دلچسپی لیتا ہے - تو وہاں کا جنگلات کا جو وزیر ہے - اسکو بھی اسمیں انوالو ہونا چاہئے - تو انصاری صاحب سے میں یہ عرض کرونگا - کہ ہر اسٹیٹ میں افارے اسٹیشن بورڈ بنائیں انکے لئے یہاں مونی ٹیرنگ بھی کریں - کہ کیسے کام ہو رہا ہے - کیا کام وہ کر رہے ہیں - اس طریقہ سے یہ مسئلہ

حل ہو سکتا ہے اور اسطریقہ پچوری صاحب کا جو ریزولوشن ہے - میں صرف یہ درخواست کرونگا انصاری صاحب سے کہ یہ ایک ایسا ریزولوشن پچوری صاحب نے پیش کیا ہے - اسمیں نہ تو کسی بل کی ضرورت ہے نہ کوئی کسی لیجسلیشن کی ضرورت ہے - اسکو ان کو منظور قبول کرنا چاہئے - اسکو قبول کرنے سے صرف ایک ذمہداری عائد ہوتی ہے - کہ ریاستی سرکاروں کو لکھیں گے - تاکہ ہم بھی یہ سمجھیں کہ یہ ارجینسٹ ہے - اور جو مسئلہ پچوری صاحب نے اٹھایا ہے اسکو وہ سمجھتے ہیں - اس مسئلہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے - اس ریزولوشن کو انکو تسلیم کرنا چاہئے - تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ جمعہ کا دن پرائیویٹ ممبرز کا مقرر کرتے ہیں - وہ نشستند - و - گفتند - و - برخاستند فارسی کی ایک مثال ہے - آئے بیٹھے باتیں کی اور چلے گئے - ایسا نہیں ہونا چاہئے - اس سیشن میں ایک جمعہ ایسا آجائے کہ ریزولوشن سرکاری طور پر تسلیم کیا جائے - جس میں سرکار کو کوئی آپتی نہیں ہے - یا کوئی ایسی دقت نہیں ہے - قبول کرنے میں نہ کوئی بل کی ضرورت ہے - نہ کوئی روپیہ کی ضرورت ہے - نہ کوئی فائنینشیل امپلیکیشن ہے - نہ

کوئی لیجسلیٹیو امپلیکیشن ہے- ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس ریزولوشن کو پاس کرنے سے سرکار کے مثبت ارادہ کا اظہار ہوجائیگا - اور اظہار کرنیے کا - ان تمام ۲۲ ریاستوں میں اور یونین ٹیریٹریز میں جہاں کے لوگ اس چیز کو سمجھیں گے- آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کرینگی - ہمارے جنگل ختم ہورہے ہیں - بڑے برباد ہو رہے ہیں- اگر ہم نے اس سلسلہ میں ارنیسٹلی کام نہیں کیا- میں ان الفاظ کے ساتھ پچوری صاحب کے ریزولوشن کی تائید کرتا ہوں- اور امید کرتا ہوں کہ سرکار اس ریزولوشن کو قبول کریگی - اور اس میں ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی - وہ اس سلسلہ میں ہاؤس کو اطلاع کرینگے کہ بغیر کسی ہیل و حجت کے اس ریزولوشن کو وہ قبول کرتے ہیں - پچوری صاحب کے اس ریزولوشن کو قبول کرنے کے ساتھ اس سیشن میں کم سے کم یہ ہوگا کہ یہ پہلا ریزولوشن ہے جو آج منظور کیا گیا ہے- شکریہ -

श्री जगतपाल सिंह ठाकुर (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, श्री सुरेश पचौरी जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। एक तरफ हमें जंगलों के बढ़ाने की बात कहते हैं दूसरी तरफ बदकिस्मती है कि जंगल तेजी से कटते जा रहे हैं मुल्क में ग्राबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब ग्राबदी बढ़ेगी, तो उसके पकाने के लिए चाहे लकड़ी हो चाहे बायोगैस हो या कोई दूसरे साधनों की जरूरत पड़ेगी इस के लिए जलाने के लिए जंगल कटेंगे। इन्होंने अपने प्रस्ताव में रखा है कि 140 लाख हेक्टेग्रर चरागाह के रूप में दर्ज है। मै इस बात के लिए भी ग्रापमे कह सकता हूं कि जो ग्राकड़े है रेवेन्यू विभाग के पास है ग्राज इतने जमीन चरागाह में नहीं हैं। इसका कारण है कि इन चरागाहों में पूरे हिन्दुस्तान में खेती होती चली जा रही है। दूसरे जो चरागाह है हजारो सालों से उन में कोई डवलपमेंट नहीं हुग्रा है। ग्राज जिस तरह से बरसात कही कम होती है कहीं ज्यादा होती है वह डवलप भी नहीं हो पा रहे हैं। उसमें भी मेरा

5 P.M. यह सुझाव है कि उन चारागाहों के ग्रदर स्टेट गवर्नमेंट या पंचायत डेवलपमेंट करे जिससे कि ये ग्रच्छे चारागाह बन सकें दूसरी तरफ जो जंगल कटते चले जा रहे हैं उसके ग्रंदर जो नुकसान ग्राज हो रहे हैं उसके दो कारण हैं, एक कारण तो यह है कि जब चारागाह नहीं हैं तो जंगलों के ग्रंदर जो रिजर्व फोरेस्ट हैं, लोग जाकर जानवरों को चराते हैं, नहीं तो कहां चरायें। ग्रगर जानवर बढ़ाते हैं ग्रौर उन्हें चारा नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं तो चराना पड़ेगा ही। . . . (समय की घंटी)।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Further discussion on the Resolution will take place on the 8th August. Now, we shall continue with the Calling Attention.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE— INADEQUATE SECURITY ARRANGEMENTS AT STRATEGIC AND SENSITIVE PUBLIC PLACES IN DELHI— Contd.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, before I talk about the Calling Attention motion, I would like to express my grief and sorrow about the incident that took place in Muktsar this morning where many innocent lives were lost by sense-